

PRINTED MATERIAL

To

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LTD.

**S.C.O. No. 37 & 38, First Floor, Urban Estate, Phase-II,
Rajpura Road, Patiala -147002
(CIN: U01403PB2014PTC038826)**

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN: U01403PB2014PTC038826)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

निदेशक मंडल

श्री भूपिंदर सिंह	-	अध्यक्ष
श्रीमती रणजीत कौर	-	निदेशक
श्रीमती संदीप कौर	-	निदेशक
श्रीमती परमजीत कौर	-	निदेशक
श्री कुलप्रीत ऋषि	-	निदेशक
श्री गुरलाल सिंह	-	निदेशक
श्री सुखपाल सिंह	-	निदेशक
श्री सतनाम सिंह	-	निदेशक
श्री मनदीप सिंह	-	निदेशक
श्री गुरदीप सिंह	-	निदेशक
श्री कुलदीप सिंह	-	निदेशक
डा. सौगत मित्रा	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री नरिंदर सिंह बाहगा	-	विशेषज्ञ निदेशक
डा. रघु हसन मल्लेगौड़ा	-	विशेषज्ञ निदेशक
डा. नवदीप कुमार	-	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डी.जी.एम. - वित्त एवं लेखा

श्री पुनीत शर्मा

अंकक्षेक

एस. ऐन. धवन एंड कम्पनी, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

कम्पनी सचिव

श्री राजेश सैनी

आंतरिक अंकक्षेक

बोरकर एंड मजुमदार.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
मुंबई, महाराष्ट्र

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक

पंजीकृत कार्यालय

एस.सी.ओ. नं. 37 और 38,
अर्बन एस्टेट फेज़-2, राजपुरा रोड,
पटियाला-147002, पंजाब
टेलीफोन : 0175-5000735
ई-मेल: info@baanimilk.com
वेबसाइट: www.baanimilk.com

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों की रिपोर्ट.....	1-11
2. अंकक्षकों की रिपोर्ट	12-14
3. अंकक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक.....	14-17
4. वार्षिक लेखा विवरण	
i. बैलेंस शीट.....	18
ii. लाभ और हानी विवरण.....	19
iii. रोकड़ प्रवाह विवरण.....	20
5. लेखांकन नितियों का विवरण.....	21-23
6. नोट्स.....	23-35
7. गियारवी सालाना आम सभा के मिनट्स.....	36-38
8. बजट.....	39
9. बारहवीं सालाना आम सभा का नोटिस.....	40-43
संलग्न : प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और सालाना आम सभा स्थल के मार्ग का नक्शा	

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता/त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)

निदेशकों की रिपोर्ट

बाणी मिलक प्रोज़ूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को

निदेशकों को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए बाणी मिलक प्रोज़ूसर कम्पनी लिमिटेड ('कम्पनी') के 11वीं लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम:-

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक
कुल आय	700.33	617.34
कुल लागत (खर्च सहित)	687.34	610.60
कर के पूर्व लाभ/हानि	12.98	6.74
कर हेतु प्रावधान	3.25	1.85
कर के पश्चात लाभ/हानि	9.73	4.89

कम्पनी के मामलों का विवरण:-

कम्पनी ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 700.33 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। परिचालन राजस्व ₹ 697.20 करोड़ रहा, जबकि इस अवधि के दौरान अर्जित अन्य आय ₹ 3.13 करोड़ रही। वर्ष के दौरान कुल खर्च ₹ 687.34 करोड़ रहा, जिसमें ₹ 3.45 करोड़ का मूल्यहास और परिशोधन खर्च शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज, मूल्यहास और कर से पूर्व लाभ (PBIT) ₹ 16.44 करोड़ रहा; कर से पूर्व लाभ ₹ 12.98 करोड़ और कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ 9.73 करोड़ रहा।

इस वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय में कुल आय ₹ 789.69 करोड़ और कर-पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) ₹ 4.58 करोड़ के मुकाबले, कम्पनी ने वास्तव में उक्त अवधि के लिए ₹ 700.33 करोड़ की कुल आय और ₹ 12.98 करोड़ का कर-पूर्व लाभ हासिल किया है।

दूध एवं दूध उत्पाद:-

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 1333.89 लाख किलोग्राम कच्चा दूध संस्थागत खरीदारों को बेचा है। वर्ष के दौरान पैकेज वाला दूध(पी.पी.एम.) की 12.95 लाख लीटर, थोक पाश्चरीकृत दूध की 7.14 लाख किलोग्राम, दही की 2.92 लाख किलोग्राम, लस्सी की 0.22 लाख लीटर, घी की 4.92 लाख किलोग्राम और एस.एम.पी. 5.49 लाख किलोग्राम की कुल बिक्री रही।

परिचालन समीक्षा:-

दूध की खरीद:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी ने प्रतिदिन औसतन 3.86 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की। कम्पनी मुख्य रूप से पंजाब के 14 जिलों और राजस्थान के 4 जिलों में कार्यरत है, जिसमें 17 मिलक चिलिंग सेंटर (एम.सी.सी.), 2187 गाँव और 2347 मिलक पूलिंग पॉइंट (एम.पी.पी.) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, कुल 67702 सदस्य थे।

कम्पनी ने एन.पी.डी.डी. योजना के घटक बी के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उद्योग की स्वीकृत परियोजना पर और प्रगति की है। इसके अंतर्गत, कम्पनी ने तीन घटक शुरू किए: दूध खरीद के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना (एस.एम.पी.आई.), उत्पादकता में वृद्धि, और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। एस.एम.पी.आई. घटक के अंतर्गत, कम्पनी ने सभी मौजूदा एम.पी.पी. में डी.पी.एम.सी.यू. को प्रतिस्थापित कर दिया है और पंजाब के विभिन्न नए जिलों के 1,000 अतिरिक्त गाँवों में परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है। इस वर्ष, कम्पनी ने दूध की कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्य राजस्थान के चार जिलों के 570 गाँवों में गतिविधियाँ शुरू करके अपने दूध परिचालन का विस्तार पंजाब से आगे किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एम.सी.सी. में दूध शीतलन कार्यों को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न बुनियादी ढाँचे में सुधार किए गए। इन सुधारों में डबल डॉक, उन्नत शीतलन मशीनरी और नए यांत्रिक दूध फिल्टर शामिल थे।

आगे की राह: नए क्षेत्रों में विस्तार और कई नए गाँवों के जुड़ने से कम्पनी ने दूध खरीद की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। आगे की वृद्धि को गति देने के लिए, कम्पनी ने दूध ठंडा करने के बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया है और पंजाब के विभिन्न जिलों में पाँच नए दूध शीतलन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

क्षेत्र, एम.सी.सी. और क्लस्टर स्तरों पर डेटा विश्लेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए, कम्पनी डेटा प्रवाह, विश्लेषण और सक्रिय निर्णय लेने में सुधार के लिए विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के कुशल उपयोग के विकल्प तलाश रही है। इसके अलावा, क्षेत्र पर्यवेक्षकों, ट्रांसपोर्टर्स और सहायकों को एक एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन से लैस किया जाएगा ताकि रीयल-टाइम डेटा एक्सेस सक्षम हो सके, जिससे बेहतर नियंत्रण और अधिक कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो सके।

पी.ई.एस. (उत्पादकता संवर्धन सेवाएँ):

बाणी मिलक प्रोज़ूसर कम्पनी लिमिटेड आवश्यक सेवाओं के माध्यम से दूध उत्पादन लागत को कम करके अपने किसान सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए समर्पित है। कम्पनी विभिन्न इनपुट सेवाएँ प्रदान करती है, जैसे पशु आहार, खनिज मिश्रण, आहार पूरक, सदस्यता-आधारित डेयरी फार्म विकास परियोजनाएँ, मस्टाइटिस नियंत्रण लोकप्रियकरण परियोजना (एम.सी.पी.पी.), सबक्लिनिकल मस्टाइटिस स्क्रीनिंग (सीएमटी), डेमो चारा प्लॉट, एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं से उपचार, उत्तम पशुपालन पद्धतियों पर प्रशिक्षण, साइलेज स्कूल और बेल साइलेज।

कम्पनी ने विभिन्न डेयरी पशुओं की स्वास्थ्य स्थितियों के समाधान, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और इष्टतम दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फार्म सदस्यों को हर्बल आहार पूरक की आपूर्ति भी शुरू कर दी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न इनपुट सेवाओं की उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं:

क्रम संख्या	सेवा	इकाई	उपलब्धि
1	पशु आहार	मीट्रिक टन	7540.56
2	खनिज मिश्रण	मीट्रिक टन	151.42
3	सीएमटी (सबक्लिनिकल मास्टिटिस परीक्षण)	जांच किए गए पशुओं की संख्या	111674
4	स्तन स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक आहार पूरक	किलोग्राम	1988
5	सदस्यों का प्रशिक्षण	प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या	19486
6	सहायक पुनर्स्थाप प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की संख्या	873

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ने एथनो-वेटरनरी दवाओं का उपयोग करके डेयरी पशुओं के उपचार में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और वर्ष 2025-26 तक इस पद्धति को और अधिक किसान सदस्यों तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। कम्पनी सदस्यों के बीच हर्बल उत्पादों के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी।

कम्पनी ने सी.बी.डी.ओ. के रूप में डेयरी किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों, साइलेज उत्पादन और बीज उत्पादन के बारे में शिक्षित कर सांझा एफ.पी.ओ. को सहयोग दिया। सांझा एफ.पी.ओ. ने क्लस्टर हनुमानगढ़ और अन्य एफ.पी.ओ. में हरे चारे के बीज और बेल साइलेज बेचे। वर्ष के दौरान किसानों की 263.26 मीट्रिक टन साइलेज और 4.7 मीट्रिक टन हरे चारे के बीज वितरित किए हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) के सहयोग से, कम्पनी ने वैकल्पिक विधियों के माध्यम से रोग नियंत्रण (डी.सी.ए.एम.) नामक एक परियोजना शुरू की है। इस पहल के तहत, चयनित गाँवों के किसानों को रोग निवारण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करना और निवारक स्वास्थ्य सेवा तथा एथनो-वेटरनरी दवाओं जैसे वैकल्पिक उपचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल से सनदाह की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और परिणामस्वरूप, दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

आगे की राह:

कम्पनी डेयरी फार्मिंग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है और महिला डेयरी किसानों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई पहल कर चुकी है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, कम्पनी "शक्तिधारा" परियोजना शुरू करने जा रही है—यह डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति का जन्म मनाने और ग्रामीण डेयरी फार्मिंग की असली रीढ़, यानी हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने का एक आंदोलन है।

एक समर्पित महिला पशुचिकित्सक के नेतृत्व में और टीम बाणी द्वारा समर्थित, शक्तिधारा का ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित है:

ज्ञान की शक्ति - महिला सदस्यों को बेहतर पशु स्वास्थ्य और पोषण प्रथाओं का प्रशिक्षण देना।

आत्मविश्वास की ताकत - महिलाओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना।

साझा करने की ताकत - व्यावहारिक, स्थानीय रूप से प्रासंगिक समाधानों को साझा करने के लिए सहकर्मी समर्थन नेटवर्क को बढ़ावा देना।

हमारा मानना है कि जब महिलाएं बदलाव का नेतृत्व करती हैं, तो अच्छे तरीकों को अपनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, परिणाम अधिक सार्थक हो जाते हैं, तथा प्रभाव अधिक स्थायी हो जाता है।

कम्पनी क्षेत्रीय विस्तार कार्यकर्ताओं के एक विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से पशु रोग निवारण को मजबूत करने के अवसरों की तलाश कर रही है।

बाणी के क्षेत्रीय पशु चिकित्सकों के नेतृत्व में समर्पित टीमें, किसान सदस्यों को डेयरी फार्मिंग के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित करेंगी।

लॉजिस्टिक्स:

कुशल डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से कम्पनी की सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स परिचालन महत्वपूर्ण है।

आगे की राह:

कुशल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए, कम्पनी डीज़ल की खपत कम करके कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) के सहयोग से एक रूट ऑप्टिमाइज़ेशन 'सॉफ्टवेयर लायू' करने की योजना बना रही है। इससे दूध परिवहन का समय कम करने और दूध की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।

गुणवत्ता के लिए उठाये गए कदम:-

कच्चे दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित पहल की गई है:-

एम.सी.सी. बुनियादी ढांचे में सुधार:

- 80 से 120 लैटेंट बढ़ाने के बाद प्लेट हीट एक्सचेंजर की क्षमता 15 किलोलीटर से बढ़ाकर 20 किलोलीटर कर दी गई है, पुराने डी.जी.सेट को नए 125 के वी.ए डी.जी.सेट से बदल दिया गया है। एम.सी.सी.-खेड़ी खुर्द में के.सी-3 अमोनिया कंप्रेसर लगाने के लिए शीतलन क्षमता बढ़ा दी गई है।
- एम.सी.सी. सादिक में इंटरलॉकिंग कंटीट ब्लॉक हार्ड पार्किंग एम.सी.सी. के आसपास की गई, दूध ट्रे कैन कन्वेयर को नए कैन कन्वेयर से बदला गया।

- एम.सी.सी. भदौर में कैन स्क्राइबर बदला गया और एम.सी.सी. के आसपास नया पार्क बनाया गया।

बिजली की लागत कम करने के लिए एम.सी.सी. में औद्योगिक गिड से जुड़ी सौर प्रणाली स्थापित की गई।

- एम.सी.सी. कोट-इसे-खान, खेरीखुर्द, मल्लानवाला, मानसा और ख्वासपुर ने बिजली पैदा करने के लिए 35 से 75 के वी.ए औद्योगिक गिड टाइड सौर प्रणाली स्थापित किया।

- यह पहल ऊर्जा लागत में उल्लेखनीय कमी ला सकती है और व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक लागत बचत प्रदान कर सकती है। यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है क्योंकि सौर प्रणाली ग्रीनहाउस गैसों या अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

परीक्षण सुविधा का उन्नयन

- हमने सभी एम.सी.सी. में दूध में सोडियम सामग्री की परीक्षण सुविधा को उन्नत किया है और पंजाब और राजस्थान एम.सी.सी. के लिए 12 सोडियम विश्लेषक खरीदे हैं।

नई विनिर्माण सुविधा में एस.एम.पी. और घी का रूपांतरण।

- हमने अतिरिक्त कच्चे दूध को स्किम्ड मिल्क पाउडर और घी में बदलने के लिए मेसर्स शिवा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, सहजदापुर, अंबाला को एक अतिरिक्त नई उत्पादन इकाई किराए पर ली है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने स्किम्ड मिल्क पाउडर 575 मीट्रिक टन और 439 मीट्रिक टन घी का उत्पादन किया है। एस.के.यु. नीचे दिए गए हैं।

- स्किम्ड मिल्क पाउडर- 25 किलोग्राम।

- घी- 1 लीटर और 15 किलोग्राम।

सब-वित्तिकल मास्टिटिस स्क्रीनिंग:

- वर्ष 2024-25 के दौरान 111674 पशुओं में सी.एम.टी. (केलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) के माध्यम से सब-वित्तिकल मास्टिटिस की जाँच की गई। कच्चे दूध की गुणवत्ता (एम.बी.आर.टी. और ऊष्मा स्थिरता) में सुधार के लिए यह क्षेत्रीय स्तर पर एक अत्यधिक प्रभावी पहल है।

प्रशिक्षण एवं विकास:

- एम.सी.सी. स्वच्छ दूध उत्पादन, विश्लेषणात्मक परीक्षण, दूध संग्रहण, एम.सी.सी. की सफाई एवं स्वच्छता, आई.एस.ओ. 22000: 2018 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम। जी.एम.पी. (अच्छे विनिर्माण अभ्यास) पर प्रशिक्षण। 08 आयोजित प्रशिक्षणों करवाये थे और 114 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

आगे की राह

वर्ष 2025-26 के दौरान, कम्पनी गुणवत्ता आश्वासन (QA) और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (QMS) पर अधिक जोर देने की योजना बना रही है। बाणी स्वच्छ दूध उत्पादन (CMP) के माध्यम से कच्चे दूध में बैक्टीरिया की मात्रा कम करने के लिए काम कर रही है, और इस पहल के तहत नए गाँवों के 40,000 से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रमुख फोकस क्षेत्रों में वाहनों के आगमन के समय में सुधार और एम.सी.सी. में दूध शीतलन अवसंरचना को बढ़ाना शामिल होगा।

उत्पादक संस्था निर्माण (पी.आई.बी.):-

हमारी दूध उत्पादक कम्पनी के मिशन के केंद्र में अपने उत्पादक सदस्यों के लिए एक वास्तविक रूप से सुदृढ़ संस्था का निर्माण करने की प्रतिबद्धता निहित है। उत्पादक संस्था निर्माण (पी.आई.बी.) का कार्य सुशासन, पारदर्शी प्रक्रियाओं और गहन सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण पर दृढ़ ध्यान केंद्रित करते हुए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।

पिछले वर्ष के दौरान, हमने अपने शासन ढांचे को और मजबूत किया है, जमीनी स्तर पर सहभागिता को बढ़ाया है, प्रशिक्षण कवरेज को बढ़ाया है, तथा डिजिटल उपकरणों को अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सदस्य इस सहकारी यात्रा में सुचित, कुशल और आत्मविश्वासी हितधारक बने रहें।

शासन और समानता को मजबूत करना:

मूल डिजाइन सिद्धांतों पर दृढ़ता के साथ अमल किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यावसायिक लेन-देन मुख्य रूप से हमारे अपने उत्पादक सदस्यों के साथ किए जाएं, जो हर रणनीतिक और परिचालन निर्णय के केंद्र में रहते हैं। प्रत्येक सदस्य के संरक्षण के अनुरूप, शोचरधारिता का समान वितरण सुखी से बनाए रखा जाता है, जिससे निष्पक्षता और समावेशिता को बल मिलता है।

हमारा बोर्ड संविधान अंतर्निहित में निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करता है, और यह यकीनी बनाता है कि बोर्ड व्यापक और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। इस वर्ष, हमने सदस्यों की शिकायतों का अधिक व्यवस्थित ढंग से समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ किया है। हमारा मुख्यालय शिकायतों के निवारण पर कड़ी निगरानी रखता है, जबकि हमारा सशक्त क्षेत्रीय बल, ग्राम संपर्क समूह (वी.सी.जी.) और सदस्य संबंध समूह (एम.आर.जी.) सदस्यों के प्रश्नों और चिंताओं का शीघ्र समाधान करने के लिए जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं।

डिजिटल सदस्य का नामांकन और पारदर्शी जानकारी सांझी करना:

स्वचालित सदस्य नामांकन प्रक्रिया ने सदस्यों की पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे सदस्यों को तेज़ और अधिक सटीक सेवा प्रदान करना संभव हो गया है। पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। बाणी सदस्य एंजिकेशन के माध्यम से, भुगतान रिकॉर्ड, दूध डालने की स्थिति, अब तक का प्रोत्साहन और लाभशुकी जानकारी ले सकते हैं। इसके इलावा, सदस्य शिफ्ट अनुसार दूध वैक कर सकते हैं। यह निरंतर दृष्ट्यता न केवल विश्वास का निर्माण करती है, बल्कि सदस्यों को हर कदम पर कम्पनी के कामकाज से जुड़े रहने में भी सक्षम बनाती है।

वी.सी.जी. और एम.आर.जी. जमीनी स्तर पर संपर्क:

वी.सी.जी. और एम.आर.जी. सदस्य और कम्पनी में प्रभावशाली दोतरफ़ा संचार स्थापित करने की सहूलत देता है। वे मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (एम.पी.पी.) से संबंधित प्रगति पर चर्चा करने, प्रतिक्रिया साझा करने और स्थानीय स्तर के परिचालन संबंधी मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बातचीत सुनिश्चित करती है कि हर सदस्य की बात सुनी जाए और प्रशासन पूरी तरह से सहभागी बना रहे।

महिला सदस्यों को सशक्त बनाना:

हम अपने उत्पादक संस्थान में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते रहेंगे। बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों के दौरान जागरूकता गतिविधियाँ नियमित रूप से डेपरी क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। कम्पनी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, गुणवत्ता और मात्रा के मानदंडों को लगातार पूरा करने वाली महिला सदस्यों को नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, हमारे बोर्ड में तीन महिला निदेशक कार्यरत हैं - जो शासन के प्रति हमारे समावेशी दृष्टिकोण का प्रतिबिंब हैं। हम इस भागीदारी को और बढ़ाने और केंद्रित क्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से और अधिक महिला नेताओं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण:

निरंतर कोशल विकास हमेशा से पी.आई.बी. की रणनीति का आधार रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सुविज्ञ और प्रशिक्षित सदस्य ही एक सफल सहकारी संस्था की रीढ़ होते हैं। हमारे प्रशिक्षण और जागरूकता मॉड्यूल न केवल तकनीकी ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि सहकारी मूल्यों, वित्तीय प्रबंधन और सुशासन प्रथाओं की समझ को भी मजबूत करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने अपने अपनी पहुच को महत्वपूर्ण तरीके के साथ विस्तार किया, और पिछले वर्ष में किए गए आधारभूत कार्य के आधार पर अधिक प्रभावशाली और दूरगामी प्रशिक्षण और सहभागिता गतिविधियाँ प्रदान कीं:

- 102 एम.आर.जी. अभिविन्यास कार्यक्रमों में 236 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे सदस्यों की प्रतिक्रिया और समर्थन के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में एम.आर.जी. की भूमिका को बल मिला।
- 1,013 वी.सी.जी. सदस्यों के लिए 223 वी.सी.जी. अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे उन्हें हमारे सहकारी सिद्धांतों के स्थानीय राजदूत के रूप में कार्य करने में मदद मिली।
- 435 गल-बात ग्राम-स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों में 10,999 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें दूध उत्पादन, स्वच्छता प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और बुनियादी वित्तीय साक्षरता के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा की गई। इन सत्रों को अब ज्ञान साझा करने और सामुदायिक विश्वास बनाने के लिए विश्वसनीय स्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- एक केंद्रित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में 26 होनहार किसान सदस्यों को शामिल किया गया, जो सदस्य नेताओं की एक नई पीढ़ी को विकसित करने की दिशा में एक सीधा कदम है, जो हमारी संस्था के शासन और रणनीतिक दृष्टिकोण को आकार देगे।
- इसके अतिरिक्त, हमारे परिचालन क्षेत्रों में 6,879 वी.सी.जी. और एम.आर.जी. बैठकें आयोजित की गईं, जिससे नियमित संवाद, निगरानी और समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ।

इन पहलों ने न केवल हमारे उद्देश्यों को पूरा किया है, बल्कि सदस्य की स्वामित्व और सामूहिक विकास के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार किया है।

भविष्य के बारे में सोच

इस गति के आधार पर, पी.आई.बी. विभाग का लक्ष्य है:

- ✓ अधिक सक्रिय सदस्यों को नामांकित करें तथा निष्क्रिय सदस्यों को पुनः व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।
- ✓ डिजिटल साक्षरता, टिकाऊ डेपरी पद्धतियाँ और बाजार के रुझान को भी शामिल करने के लिए प्रशिक्षण के दायरे का विस्तार करना।
- ✓ बाणी सदस्य ऐप में नई विशेषताएँ शामिल की जाएंगी ताकि इसे सूचना, फीडबैक और सेवा वितरण के लिए और भी अधिक शक्तिशाली उपकरण बनाया जा सके।
- ✓ महिलाओं और युवाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करना, उन्हें शासन और संचालन में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करना।
- ✓ सदस्यों के प्रश्नों का त्वरित समाधान करने तथा जमीनी स्तर पर विश्वास बनाने के लिए हमारे वी.सी.जी.-एम.आर.जी. नेटवर्क को और मजबूत करना।

हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है: एक मजबूत, सदस्य-संचालित संस्थान का निर्माण करना, जहाँ प्रत्येक उत्पादक जुड़ा हुआ, सुचित और हमारी सामूहिक सफलता का सक्रिय हिस्सा बनने के लिए प्रेरित महसूस करे।

हम साथ मिलकर अपने सहकारी सिद्धांतों को ठोस परिणामों में परिवर्तित करना जारी रखेंगे, तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो प्रगति प्राप्त करते हैं वह प्रत्येक सदस्य परिवार का उत्थान करे तथा डेपरी सहकारी क्षेत्र के लिए नए मानक स्थापित हों।

वित्तीय वर्ष के खतम होने के बाद और ईस रिपोर्ट की तिथि तक कम्पनी में भौतिक बदलाव, और प्रतिबद्धताएं जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं:-

वित्तीय वर्ष 31.03.2025 की समाप्ति के बाद कोई भौतिक/महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। हालाँकि, कम्पनी राजस्थान राज्य में अपने कृष परिचालन क्षेत्र का विस्तार कर रही है।

व्यापार परिवर्तन:-

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने खरीद नेटवर्क को मजबूत करके, अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की खरीद और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया है और खुदरा बिक्री बंद कर दी है।

इसके अलावा समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यापार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सीमित लाभांश (डिविडेंड):-

बोर्ड तिथि 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए ₹100/- के प्रत्येक शेयर पर ₹9/- प्रत्येक इक्विटी शेयर की लाभांश (डिविडेंड) की शिफारिश करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है। यह लाभांश (डिविडेंड) आगामी 12वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है और उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनका नाम 31.03.2025 को सदस्य रजिस्टर में दर्ज है। ₹9/- की दर से 1.47 करोड़ लाभांश के तौर पर सदस्यों को वितरित किये जाएंगे।

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष(एफ.पी.ई.आई):-

समीक्षा वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अवैतनिक लाभांश का मूल 654896/- रुपये अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण करने के 7 वर्षों बाद कम्पनी द्वारा केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई.ई.पी.एफ.) में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शेयर रद्दीकरण राशि के रूप में 25,86,252/- रुपये की राशि जो अवैतनिक रूप में पड़े रहने की तिथि से 7 वर्षों की अवधि तक अवैतनिक/अदावाकृत रही, कम्पनी द्वारा केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई.ई.पी.एफ.) में स्थानांतरित कर दी गई है।

इसके अलावा, कम्पनी के पास कोई भी अंतर्निहित शेयर नहीं है जिसे उपयुक्त हस्तांतरण के अनुसार आई.ई.पी.एफ. में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो। इसलिए, इस संबंध में कोई आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

अवैतनिक/अदावाकृत ना किए लाभांश की सूची कम्पनी की वेबसाइट www.baanilmilk.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त सूची की जाँच करें और यदि उक्त सूची में उनकी देय कोई भी राशि अवैतनिक रह गई हो, तो वे उसे जारी करवाने के लिए कम्पनी से संपर्क कर सकते हैं।

सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण:-

बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Z1 के साथ अंतर्निर्णय के अनुच्छेद के तहत ₹8.26 करोड़ की राशि जनरल रिजर्व में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है।

वित्त:-

तिथि 31 मार्च, 2025 तक कम्पनी की नकद और नकद समकक्ष ₹13.97 करोड़ थे। कम्पनी अपनी कार्यशील पूंजी, प्राप्य राशि, इन्वेंटरी के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती रही है और अन्य कार्यशील पूंजी मानकों पर निरंतर निगरानी रखी गई है। कम्पनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। वर्ष के दौरान, इन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिज़ाइन या संचालन में कोई भी रिपोर्ट योग्य भौतिक कमज़ोरी नहीं देखी गई।

जमा:-

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कोई जानकारी उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है।

अंश पूंजी और सदस्यता:-

31 मार्च, 2025 तक, 67702 सदस्यों ने चुकता अंश पूंजी ₹16.31 करोड़ दर्ज की गई थी। कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत अंश पूंजी ₹20.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹40.00 करोड़ कर ली है। कम्पनी ने कोई भी इक्विटी अंश, अधिमध्य अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हैं जिनमें ऐसी प्रतिभूतियाँ को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प हो।

वर्ष के दौरान कम्पनी की अंश पूंजी में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

बोर्ड बैठक की तारीख	जारी/पुनः जारी अंशों की संख्या	रद्द किए गए अंशों की संख्या
22.05.2024	73772	11817
19.07.2024	18056	75585
20.09.2024	55853	23029
14.11.2024	84704	21476
17.01.2025	136155	22411
18.03.2025	214614	208209

सदस्यता रद्द होने से बचने के लिए, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान अपनी-अपनी श्रेणी के सभी संरक्षण मानदंडों और सदस्यता जारी रखने की शर्तों को पूरा करें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति:-

31 मार्च, 2025 तक, कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 67702 सदस्यों के साथ चुकता अंश पूंजी ₹16.31 करोड़ दर्ज की गई थी।

31 मार्च 2025 के बाद, कम्पनी ने 5453 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 7837 सदस्यों की सदस्यता रद्द/समर्पित/स्थानांतरित कर दी गई है। इस लिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक 65318 सदस्य हैं जो 12वीं वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र हैं।

65318 सदस्यों में से,

- 16596 सदस्यों को 12वीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है (जिसमें उनके संबंधित श्रेणी के निर्देशक के चुनाव पर वोट भी शामिल है) क्योंकि वे अपने संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
- 4688 सदस्यों को 12वीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है (जिसमें उनके संबंधित श्रेणी के निर्देशक के चुनाव पर वोट को छोड़कर) क्योंकि वे अपने संबंधित श्रेणी की सभी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे, हालांकि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम्पनी को न्यूनतम 200 दिन और 500 लीटर दूध की आपूर्ति पूरी की।
- 44034 सदस्य 12वीं वार्षिक आम सभा में भाग लेने के हकदार हैं, लेकिन उन्हें 12वीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कम्पनी को न्यूनतम 200 दिन और 500 लीटर दूध की आपूर्ति की शर्तों को पूरा नहीं किया है।

नए सदस्य, जिन्हें 31 मार्च, 2025 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, वे 12वीं वार्षिक आम सभा में वोटिंग नहीं कर सकते हैं और साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के हकदार भी नहीं होंगे।

निदेशक मंडल:-

कम्पनी के अंतर्निर्णय के अनुच्छेद 9.5 में प्रावधान है कि बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व उनसे संबंधित वर्ग के सदस्यों द्वारा कम्पनी से व्यापार पर आधारित होगा। सदस्यों को तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी, द्वारा कम्पनी से किए व्यापार के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदंडों को कम्पनी की छठी और सातवीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति और गैर-पूर्ति के संबंध में डेटा के विश्लेषण के आधार पर, यह पाया गया है कि 31 मार्च 2025 तक कुल 67702 सदस्यों में से 32981 सदस्यों ने अपने संबंधित श्रेणी के संरक्षण के सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है। 32981 सदस्यों में से, 1854 श्रेणी-ए के सदस्य हैं, 4775 श्रेणी-बी के सदस्य हैं और 26352 श्रेणी-सी के सदस्य शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान

श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी के सदस्यों द्वारा कम्पनी में आपूर्ति की गई दूध (संरक्षण) की मात्रा का अनुपातिक प्रतिशत (%) क्रमशः 34%, 31% और 35% था। इसलिए, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की आदर्श संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 4 निदेशक, श्रेणी-बी में 3 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 4 निदेशक है। कम्पनी, अंतर्निम्न के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा: -

श्रेणी-ए के निदेशक-

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी-ए का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन (3) निदेशक हैं, जिनमें से कोई भी निदेशक कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त नहीं होगा।

संरक्षण मानदंडों के आधार पर वर्ग प्रतिनिधित्व के अनुसार, बोर्ड ने श्रेणी-ए में एक (1) रिक्ति घोषित की थी।

श्रेणी-बी के निदेशक-

वर्तमान में बोर्ड में (3) निदेशक श्रेणी-बी के हैं, जिनमें से एक (1) निदेशक श्री भूपिंदर सिंह (डी.आई.एन.: 08507477) कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

संरक्षण मानदंडों के आधार पर श्रेणी प्रतिनिधित्व के अनुसार, बोर्ड ने क्लास-बी में एक (1) रिक्ति घोषित की थी।

श्रेणी-सी के निदेशक-

वर्तमान में बोर्ड में पांच (5) निदेशक क्लास-सी के हैं, जिनमें से दो (2) निदेशक श्रीमती परमीत कौर (डी.आई.एन.: 09285767) और संदीप कौर (डी.आई.एन.: 09667814) कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

संरक्षण मानदंडों के आधार पर श्रेणी प्रतिनिधित्व के अनुसार, बोर्ड ने क्लास-सी में एक (1) रिक्ति घोषित की थी।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड श्रेणी-ए के लिए श्री गुरताल सिंह (डी.आई.एन.: 11203056), श्रेणी-बी के लिए श्रीमती हरप्रीत कौर (डी.आई.एन.: 11202992) और श्रेणी-सी के लिए श्रीमती परमजीत कौर (डी.आई.एन.: 09285767) को क्रमशः श्रेणी-ए के 1 (एक), श्रेणी-बी के 1 (एक) और श्रेणी-सी की 1 (एक) रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त करने की सिफारिस करता है। वह सूचना जिस में नियुक्ति करने वाले निदेशक का नाम और योग्यता संबंधी विवरण कम्पनी की 12वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन की सूचना के साथ संलग्न है।

इससे कम्पनी के अंतर्निम्न के अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के प्रावधानों के तहत निदेशकों की कुल संख्या श्रेणी-ए में चार (4) निदेशक, श्रेणी-बी में तीन (3) निदेशक और श्रेणी-सी में चार (4) निदेशक हो जाएगी।

समीक्षा वर्ष के दौरान, श्री नरिंदर सिंह बहगुना (डी.आई.एन.: 06990320) ने 04.05.2024 से कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और इस तारीख को कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक नियुक्त किया गया।

इसके साथ ही डॉ. नवदीप कुमार (डी.आई.एन.: 10617607) को 04.05.2024 से कम्पनी का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है।

श्री सुखपाल सिंह (डी.आई.एन.: 09288587), श्रीमती रणजीत कौर (डी.आई.एन.: 06868678), श्री गुरताल सिंह (डी.आई.एन.: 09285765) और श्री कुलदीप सिंह (डी.आई.एन.: 10713152) को 20.09.2024 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया है।

डॉ. रघु हसन मल्लेगुड़ा (डी.आई.एन.: 08936193) को 22.10.2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था और डॉ. सौगत मित्रा (डी.आई.एन.: 0541858) को 24.03.2025 से 2 वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:-

समीक्षा वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कम्पनी के उत्पादक निदेशकों के लिए आयोजित किए गए:

- नए निदेशक के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।
- एन.डी.डी.बी. और आशा महिला दूध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड का परिचयात्मक दौरा।
- वित्तीय मॉड्यूल।

निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों अनुसार, निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों अनुसार कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक पृष्ठ करते हैं:-

- (अ) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू नियमों का पालन किया गया था;
- (ब) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि कम्पनी के व्यापार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान अंत में कम्पनी के लाभ को सही दर्शते हैं।
- (स) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है;
- (द) निदेशकों ने वार्षिक लेखा प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
- (ए) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया था और ये प्रणालियां उपयुक्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य करती थीं।

अंकेक्षण:-

एस.एन. धवन एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को पांच साल की अवधि के लिए 11वीं वार्षिक आम सभा में कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षणों के तौर पर नियुक्त किया गया था, जो कम्पनी की सोलहवीं (16वीं) वार्षिक आम सभा के समापन तक, जोकि साल 2029 में होगी, पद पर बने रहेंगे।

अंकेक्षण की रिपोर्ट/सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट:-

एस.एन. धवन एंड कम्पनी, एल.एस.पी., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंकेक्षण रिपोर्ट में सांविधिक अंकेक्षणों द्वारा कोई भी आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान सांविधिक अंकेक्षणों ने कम्पनी के बोर्ड को धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

अंकेक्षण की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वतः स्पष्ट देने वाली है और इसमें किसी की भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय अंकेक्षण कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा:-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। खातों का आंतरिक लेखा-परीक्षण नियमित रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म, बोरकर और मजूमदार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखा स्वतंत्र परीक्षक करता है और आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं।

लागत अंकेक्षण और लागत अभिलेखों का रखरखाव:-

कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) और कम्पनी (लागत रिकॉर्ड और अंकेक्षण) नियम, 2014 के नियम 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखेगी। इसके अलावा, कम्पनी (लागत रिकॉर्ड और अंकेक्षण) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ धारा 148 के प्रावधान के भीतर कम्पनी पर लागत अंकेक्षण लागू नहीं होता है।

वार्षिक रिटर्न/विवरण:-

अधिनियम की धारा 92(3) और धारा 134(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसार वार्षिक विवरण फॉर्म एम.जी.टी.-7 कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिस को <https://www.baanimilk.com/membership/downloads/> पर देखा जा सकता है।

आई.बी.सी. कोड 2016 के तहत आवेदन का विवरण:-

समाप्त हुए वर्ष के दौरान, इनसॉल्वेन्सी ऑड बैक्यूप्सी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं दिया गया था और न ही कोई कार्रवाई लंबित थी।

मूल्यांकन में अंतर का विवरण:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण निदेशक रिपोर्ट में प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि समीक्षा वर्ष के दौरान कोई निपटान नहीं किया गया था, इसलिए यह कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

मानव संसाधन:-

मानव संसाधन- एक परिसंपत्ति:

कम्पनी हमेशा अपनी मानव पूंजी का ध्यान और महत्व देती है, जो उसकी सफलता का आधार है। मानव संसाधन नीतियाँ एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए बनाई गई हैं जहाँ लोग उत्पादक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। कम्पनी विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करती है मुख्यतः एम.सी.सी. में हैं।

कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को उन्नत करके उनकी गुणवत्ता और क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, तेज़ी से बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। यह विभिन्न विभागों में आवश्यक सहयोग को समझने और उसका आकलन करने, व्यक्तियों और टीम की योग्यताओं का आकलन करने और यह पहचानने के लिए कि क्या योग्यताएँ भूमिका की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, प्रभावी संचार और अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है।

कम्पनी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता देती है ताकि कर्मचारी और समग्र रूप से संगठन प्रभावी और कुशलतापूर्वक विकसित हो सकें। कम्पनी ने लागत नियंत्रण, कौशल विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, वैधानिक बैठकें, संपर्क आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के दायरे का विस्तार किया है।

सक्रिय: फोकस - समय की आवश्यकता:

नेतृत्व, तनाव प्रबंधन, प्रेरणा में रचनात्मकता और कर्मचारियों की समझ अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कर्मचारियों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए, मलोट में एक प्रेरणा सत्र का आयोजन किया गया। सभी एम.सी.सी. कर्मचारी को शामिल करने के लिए, यह सत्र एम.सी.सी. स्तर पर भी जारी रहेगा, जहाँ वे सभी एम.सी.सी. कर्मचारी शामिल होंगे जो अपनी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के कारण एम.सी.सी. से बाहर नहीं जा पा रहे हैं।

कर्मचारी सहभागिता तथा नेतृत्व कौशल एवं टीम निर्माण में सुधार के लिए, विभिन्न कर्मचारियों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

बाणी ने केंद्र और पंजाब राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बताए गए सभी निवारक उपायों को लागू किया है। इस पहल के तहत, सोशल स्पोर्ट्स जूम/वेबिनार पर ऑनलाइन ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए गए।

टीम के निर्माण:

कम्पनी में कर्मचारी सहभागिता और टीम निर्माण का महत्व मुख्य फोकस है, जिसके लिए वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए गए। दूसरी पंक्ति के साथ-साथ अधीनस्थ भी कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके नेतृत्व कौशल को निखारते हैं, साथ ही कर्मचारियों की रचनात्मकता को भी बढ़ाते हैं।

राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में पांच एम.सी.सी. जुड़ने से टीम और मजबूत हो गई।

सीखना और विकास:-

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अपने सभी सदस्यों के कौशल संवर्धन में विश्वास रखती है। इसके सदस्यों में उत्पादक सदस्य, कर्मचारी, सहायक आदि शामिल हैं। बाणी, दूध खरीद संरचना को सुदृढ़ बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सदस्यों के लिए विभिन्न कौशल संवर्धन कार्यक्रम और प्रशिक्षण लगातार चला रही है। विभिन्न लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषय जिस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस प्रकार हैं:

- दूध खरीद बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
 - **कार्यक्रम**
 - स्वच्छ दूध उत्पादन और अच्छी स्वास्थ्यकर प्रथाओं पर दूध उत्पादकों का प्रशिक्षण और जागरूकता
 - उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम
 - नए एम.पी.पी. के लिए बहुदेशीय परियोजना प्रबंधकों (वी.सी.जी.) अभिविन्यास कार्यक्रम
 - निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) अभिविन्यास कार्यक्रम
 - मौजूदा प्रसंस्करण कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक प्रशंसा कार्यक्रम
 - **प्रशिक्षण**
 - नए एम.पी.पी. सहायक के लिए बुनियादी प्रशिक्षण
 - एम.पी.पी. सहायक का पुनर्धारा प्रशिक्षण
 - डी.सी.एस. प्रबंधन, संचालन और गुणवत्ता प्रबंधन का प्रशिक्षण में डी.सी.एस./बी.एम.सी./शीतलन केंद्र/ए.एम.सी.यू./डी.पी.एम.सी.यू. के कर्मचारियों की प्रशिक्षण
 - एम.डी. और अनुभाग प्रमुखों के लिए रणनीतिक डेयरी व्यवसाय प्रबंधन
 - **उत्पादकता वृद्धि**
 - पशु पोषण अधिकारी(ए.एन.ओ.) को प्रशिक्षण
 - ए.एन. और सी.आर.पी. पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण
 - डेयरी किसानों के लिए दूधारू पशुपालन
 - चारा अधिकारियों/क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण
 - पशु आहार, हरा चारा और खनिज मिश्रण को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राम जागरूकता कार्यक्रम
 - बछड़ा पालन पर जागरूकता अभियान

सूचना प्रौद्योगिकी:-

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने एन.डी.डी.बी., भारत सरकार और जापान सरकार से जीका परियोजना (JICA) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करके, नई डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों और सभी सहायक उपकरणों की खरीद में महत्वपूर्ण निवेश किया है। सभी डी.पी.यू. पर 4 साल की वारंटी है, जिससे आपकी कम्पनी को रखरखाव लागत में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ये डीपीयू बेहतर सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा के साथ आते हैं, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार होता है।

आईटी विभाग SAP S/4HANA (RISE with SAP) प्राइवेट क्लाउड एडिशन के हालिया ऑर्डर के साथ हमारी डिजिटल क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से उन्नत कर रहा है। यह रणनीतिक अपग्रेड, हमारे मौजूदा ECC 6.0 सॉफ्टवेयर की जगह लेगा और अल्ट्रा-फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए SAP HANA इन-मेमोरी डेटाबेस द्वारा संचालित है। इसकी अक्टूबर, 2025 तक लाइव होने की उम्मीद है, S/4HANA रीयल-टाइम अंतर्दृष्टि, एक सहज SAP Fiori उपयोगकर्ता अनुभव और सुव्यवस्थित, स्वचालित प्रक्रियाएँ प्रदान करेगा। इसमें बेहतर निर्णय लेने के लिए एम्बेडेड एनालिटिक्स और एक सरलीकृत डेटा मॉडल है, जो समग्र दक्षता को बढ़ाता है और हमारे निरंतर विकास में सहायक है।

कर्मचारियों का विवरण:-

समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। इसलिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ कम्पनी (प्रबंधकीय कार्यों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य:-

कम्पनी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करती है। कम्पनी का खासकर कर्मचारियों की स्वास्थ्य और स्वच्छ कार्य पर ध्यान है, जो दूध का भौतिक संचालन करते हैं। कर्मचारियों की नियमित चिकित्सा जाँच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कम्पनी ने पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्वस्थ और स्वच्छ दूध के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु कार्यस्थल का नियमित रूप से सेनिटाइजेशन और कीट नियंत्रण किया जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर):-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अंतर्गत सी.एस.आर. खर्चों के लिए 6.07 लाख रुपये की राशि खर्च की थी। इसके अलावा कम्पनी ने सी.एस.आर. नीति को मंजूरी दी थी और कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया था।

समीक्षा वर्ष के दौरान की गई सी.एस.आर. गतिविधियों पर निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक 'ए' के अनुसार संलग्न है तथा यह इस निदेशक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और खर्च:-

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण:

कम्पनी दूध और दूध उत्पादों के व्यापार में संलग्न है। हालाँकि, कम्पनी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और इस पहल की दिशा में प्रगति करने के प्रति संवेदनशील रही है। प्रशासनिक और कार्यालय संचालन इस प्रकार संचालित किए जाते हैं जिससे ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और अधिकतम संभव बचत हो सके। इसके अलावा, कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों में किसी विशिष्ट तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आय और खर्च:

(रुपये लाख में)

विदेशी मुद्रा आय और खर्च	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
विदेशी मुद्रा आय	कोई नहीं	कोई नहीं
आयात का सी.आई.एफ. मूल्य	कोई नहीं	कोई नहीं
विदेशी मुद्रा में खर्च	3.64	कोई नहीं

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उल्टीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण:-

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उल्टीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उल्टीडन से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

वर्ष में प्राप्त हुए लैंगिंग उल्टीडन की शिकायतों की संख्या	Nil
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या:	Nil
नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, साथ ही पहले दिया गया बयान कि कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उल्टीडन	Nil

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रकटीकरण:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण:-

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी नहीं है।

संबंधित पक्ष लेन-देन:-

सभी संबंधित पक्षों के लेन-देन, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के दौरान किए गए थे, वे निष्पक्ष आधार पर और व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत थे। कम्पनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया है जो कम्पनी के हितों के खिलाफ है। फॉर्म AOC-2 अनुलग्नक-B के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक-18 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष के लिए संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण 31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के नोट्स में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति:-

कम्पनी के निदेशक मंडल ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य कम्पनी के व्यावसायिक परिचालनों में निहित जोखिमों की पहचान करना तथा पहचाने गए जोखिमों को परिभाषित करने, मापने, रिपोर्ट करने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है।

संवैतक तंत्र नीति:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में उनकी वास्तविक चिंताओं को प्रबंधन के ध्यान में लाने के लिए और कम्पनी ने निदेशकों और कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान करने हेतु एक सतर्कता तंत्र नीति स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इस तंत्र के अंतर्गत कम्पनी को कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता तंत्र की एक प्रति <https://www.baanimilk.com/policies> पर देखी जा सकती है।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति:-

धारा 178(1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कम्पनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं:-

समीक्षा वर्ष के दौरान, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे कम्पनी की चालू स्थिति और भविष्य में कम्पनी के संचालन पर कोई प्रभाव पड़े। हालाँकि, कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल्यांकन के संबंध में आयकर विभाग से दिनांक 26.03.2025 को एक माँग नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें ₹28.37 करोड़ की माँग की गई है। कम्पनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर की है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:-

कम्पनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार, कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान के तहत उल्लिखित सीमा से अधिक है।

बैठकें:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार विधिवत बुलाई गईं:

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
55 th बोर्ड बैठक	29.04.2024	13	12
56 th बोर्ड बैठक	04.05.2024	14	12
57 th बोर्ड बैठक	22.05.2024	14	14
58 th बोर्ड बैठक	19.07.2024	14	14
59 th बोर्ड बैठक	20.09.2024	15	15
60 th बोर्ड बैठक	14.11.2024	15	15
61 st बोर्ड बैठक	17.01.2025	15	15
62 nd बोर्ड बैठक	18.03.2025	15	14

इसके अलावा समीक्षा अवधि के दौरान, नामांकन समिति की बैठक 06.07.2024 को हुई। इसके अलावा, बोर्ड कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति की बैठक 14.11.2024 को हुई।

इसके अलावा समीक्षा वर्ष के दौरान, सदस्यता संबंधी समिति की पांच (5) बैठकें 10.05.2024, 02.07.2024, 29.10.2024, 03.01.2025 और 06.03.2025 को आयोजित की गईं।

समीक्षा वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

लेखा परीक्षा समिति सं.	लेखा समिति बैठक की दिनांक	लेखा समिति के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1 st	17.01.2025	5	5
2 nd	18.03.2025	5	5

हितधारकों से संबंधित समिति:-

समीक्षा वर्ष के दौरान, 27.03.2025 को हितधारक संबंध समिति की बैठक हुई थी। निम्नलिखित हितधारक संबंध समिति के सदस्य हैं:

- श्री भूपिंदर सिंह
- श्रीमती रणजीत कौर,
- डा. नवदीप कुमार

श्री भूपिंदर सिंह समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की एक बार बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

हितधारक संबंध समिति की बैठक सं.	समिति की बैठक की दिनांक	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
4 th	27.03.2025	3	3

समीक्षा वर्ष के दौरान 14 शिकायतें दर्ज की गईं और उनका समाधान किया गया।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान(आई.सी.एस.आई.) के सचिवीय मानक:-

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) द्वारा जारी सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालना के लिए कम्पनी में एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आभार:-

निदेशक मंडल कम्पनी के सदस्यों, पंजाब सरकार, व्यापार सहयोगियों और बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए निरंतर सहयोग और योगदान के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

आपके निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को प्रोत्साहन और निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

सभी कर्मचारियों और सभी संबंधितों के उत्साही सहयोग, कड़ी मेहनत और कम्पनी के प्रति समर्पण के लिए बोर्ड अपना आभार व्यक्त करता है, जिसके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

कृते निदेशक मंडल

Sd/-

भूपिंदर सिंह

अध्यक्ष और निदेशक

टी.आई.एन: 08507477

स्थान: पटियाला

दिनांक: 11.07.2025

अनुलग्नक - ए

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सी.एस.आर.) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सी.एस.आर. नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा:

कम्पनी ने सी.एस.आर. नीति अपनाई है जिसमें कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पढ़े जाने के अनुसार विस्तृत गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

1. स्वास्थ्य
2. शिक्षा
3. स्वच्छता सुविधाएँ
4. पर्यावरण स्थिरता
5. जाति समानता को बढ़ावा देना
6. व्यावसायिक कौशल में सुधार
7. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना
8. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
9. पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान देता हो।
10. इनक्यूबेटरीयों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान।
11. प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को पूरा करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में व्यस्त रहना।

सी.एस.आर. समिति की संरचना:

लागू नहीं है।

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद का स्वरूप	सी.एस.आर. समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
----- लागू नहीं है।-----				

2. वह वेब-लिंग प्रदान करें जहाँ सी.एस.आर. समिति की संरचना, सी.एस.आर. नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. परियोजनाएँ कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

कम्पनी की सी.एस.आर. नीति यहां उपलब्ध है:

https://baanimilk.com/policies/corporate_social_responsibility.pdf

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम्पनी द्वारा किए गए सीएसआर प्रोजेक्ट का विवरण यहां उपलब्ध है:

<https://baanimilk.com/csr-projects/>

3. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंग के साथ सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो-लागू नहीं है:

कम्पनी को वर्तमान में कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

- 4.

- a. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ: 303.44 लाख रुपये।
- b. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 6.07 लाख रुपये।
- c. पिछले वित्तीय वर्षों का सी.एस.आर. परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष: शून्य।
- d. वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य।
- e. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सी.एस.आर. देनदारी [(बी)+(सी)-(डी)): 6.07 लाख रुपये।

- 6.

a. वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सी.एस.आर. राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्रम संख्या	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची में से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का अवस्थिति	परियोजना का अवस्थिति	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अख्यति सी.एस.आर. खाते में अंतरित की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन की रीति - सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन रीति - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	ज़िला					नाम म वर्त रजिस्ट्रीकरण संख्या
----- लागू नहीं है।-----										

- वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सी.एस.आर. राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम संख्या	परियोजना का नाम	इस अधिनियम	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का अवस्थिति	परियोजना के लिए	कार्यान्वयन की रीति -	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

		की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची में से मद।	(हाँ/नहीं)	राज्य	ज़िला	आवंटित राशि (रु. लाख में)	सीधे (हाँ/नहीं)	नाम	सी.एस.आर. वर्त रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	गिफ्टमिल्क कार्यक्रम	अनुसूची VII (i) कुपोषण, उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ, संगरूर, पंजाब	पंजाब	संगरूर	6.07	नहीं	एन.डी.डी.बी. फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन	CSR00004168
	योगा					6.07			

- b. प्रशासनिक ऊपरी खर्च में खर्च की गई राशि - शून्य
c. प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो - लागू नहीं
d. वित्तीय वर्ष (क)+(ख)+(ग) के लिए खर्च की गई कुल : 6.07 लाख रुपये
e. वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सी.एस.आर. राशि:

	खर्च न की गई राशि(रुपये में)
वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि (रु. लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सी.एस.आर. खाते में अंतरित कुल राशि
	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।
	राशि अंतरण की तारीख निधि का नाम राशि। अंतरण की तारीख
6.07	शून्य N.A. N.A. N.A.

- f. सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि:

क्रम सं.	विशिष्टी	राशि (लाख रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत	रु. 6.07/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 6.07/-
(iii)	वित्तीय वर्ष (ii)-(i) के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	Nil
(iv)	भिछले वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सी.एस.आर. परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	Nil
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ (iii)-(iv) के लिए उपलब्ध राशि	Nil

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सी.एस.आर. राशि का ब्योरा:

क्रम संख्या	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सी.एस.आर. खाते में शेष राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
			निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख
----- लागू नहीं है। -----					

8. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) खर्च के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्योरा प्रस्तुत करें : लागू नहीं है यदि हां, तो निमित्त/अधिग्रहित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं।
वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्तिय से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	संपत्ति परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सी.एस.आर. की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी का विवरण
----- लागू नहीं है। -----					

(सभी फ्रीलड राजस्व रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार भरे जाने चाहिए, प्लेट संख्या, मकान संख्या, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत का विवरण तथा अवल संपत्ति का क्षेत्रफल और सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए।)

9. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो:

लागू नहीं (कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना सी.एस.आर. दायित्व पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है।)

कृते निदेशक मंडल

Sd/-

भूपिंदर सिंह
अध्यक्ष और निदेशक

डी.आई.एन: 08507477

स्थान: पटियाला
दिनांक: 11.07.2025

अनुलप्रक - बी

फॉर्म संख्या ए.ओ.सी-2

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 उपधारा (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें चौथे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कम्पनी (लेखा) नियम, 2013 के नियम 8(2) के अनुसरण में)
कम्पनी का नाम : बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो कि निष्पक्ष नहीं हैं:

लागू नहीं

ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की संख्या जो निष्पक्ष नहीं हैं: NIL

ब्लॉक -1	
कोर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.) या विदेशी कम्पनी पंजीकरण संख्या (एफ.सी.आर.एन.) या सीमित देयता भागीदारी संख्या (एल.एल.पी.आई.एन.) या विदेशी सीमित देयता भागीदारी संख्या (एफ.एल.एल.पी.आई.एन.) या स्थायी खाता संख्या (पैन)/व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट या कोई अन्य पंजीकरण संख्या।	
संबंधित पक्ष(पक्षों) का नाम।	
संबंध की किसम।	
अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति।	
अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि।	
अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	
ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य।	
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	
वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में संकल्प पारित किया गया।	
एम.जी.टी.-14 का एस.आर.एन.	

2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो कि निष्पक्ष हैं:

लागू नहीं

ऐसे महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की संख्या जो निष्पक्ष हैं: NIL

ब्लॉक -1	
कोर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.) या विदेशी कम्पनी पंजीकरण संख्या (एफ.सी.आर.एन.) या सीमित देयता भागीदारी संख्या (एल.एल.पी.आई.एन.) या विदेशी सीमित देयता भागीदारी संख्या (एफ.एल.एल.पी.आई.एन.) या स्थायी खाता संख्या (पैन)/व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट या कोई अन्य पंजीकरण संख्या।	
संबंधित पक्ष(पक्षों) का नाम।	
संबंध की किसम।	
अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति।	
अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि।	
अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

*चूंकि कम्पनी अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण अनुबंध को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए कम्पनी ने अन्य उपलब्ध वैधानिक विधानों के अनुसार इसकी व्याख्या की है।

कृते निदेशक मंडल

Sd/-

भूपिंदर सिंह

अध्यक्ष और निदेशक

डी.आई.एन: 08507477

स्थान: पटियाला

दिनांक: 11.07.2025

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Baani Milk Producer Company Limited Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Baani Milk Producer Company Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2025, the Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act (AS) and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2025, and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Information other than the financial statements and auditor's report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Director's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained during our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management.
- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the financial statements or, if

such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal financial controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other matter

The comparative financial information of the Company as at and for the year ended 31 March 2024 included in these financial statements have been audited by the predecessor auditor who have expressed an unmodified opinion vide its Audit Report dated 19 July 2024.

Our opinion on the financial statement is not modified in respect of above matter on comparative financial information.

Report on other legal and regulatory requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the 'Annexure A' a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
 2. As required by Section 143(3) of the Act, we report to the extent applicable that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books, except for the matter stated in paragraph 2(i)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
 - (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2025 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
 - (f) The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in paragraph 2(b) above on reporting under section 143(3)(b) of the Act and paragraph 2(i)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
 - (g) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in 'Annexure B'.
 - (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, as amended; in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company being a private Company, Section 197 of the Act related to the managerial remuneration is not applicable.
 - (i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 31 to the financial statements;
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses – Refer Note 31 to the financial statements;
 - iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company – Refer Note 31 to the financial statements.
 - iv.
- (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - (b). The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - (c). Based on the audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. The final dividend paid by the Company during the year, in respect of the same declared for the previous year is in accordance with Section 123 of the Act to the extent it applies to payment of dividend.

As stated in Note 42 to the financial statements, the Board of Directors of the Company has proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting of

the Company. The amount of dividend proposed is in accordance with Section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.

- vi. Based on our examination which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended 31 March 2025, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has been operating throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that:

- (a) In respect of one software the audit trail feature was not enabled for certain tables at the application level and at database level to log any direct data changes; and
- (b) In respect of one software used for maintaining purchase records, the software did not have a feature of recording audit trail (edit log) facility.

Further, during the course of our audit, subject to above, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with, in respect of accounting software for the period for which the audit trail feature was operating.

Additionally, the audit trail to the extent it was enabled as stated above, has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

3. As per section 3782G of the Part XXIA of the Companies Act, 2013, we give in the 'Annexure C' a statement on the matters specified in the that section.

For **S.N. Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No.: 087701

UDIN: 25087701BMJCTE1960

Place: Gurugram

Date: 11 July 2025

Annexure A to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date to the members of **Baani Milk Producer Company Limited** on the financial statements as of and for the year ended 31 March 2025

- (i) In respect of the Company's Property, plant and equipment and intangible assets:

(a)

- (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

- (b) The Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year and according to the information and explanation given to us, no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, the frequency of verification of the Property, Plant and Equipment is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

- (c) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, the Company does not hold any immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) Accordingly, the provisions of clause 3(i)(c) of the Order are not applicable.

- (d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.

- (e) There are no proceedings which have been initiated or are pending against the Company for holding benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.

(ii)

- (a) The management has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures performed by us, we are of the opinion that the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate and no material discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on physical verification as compared to the book records.

- (b) According to the information and explanations given to us, during the year, the Company has been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crores in aggregate from banks and/or financial institutions during the year on the basis of security of current assets of the Company. As represented by the Company and as disclosed in note 9 to the financial statements, no quarterly returns/statements are required to be filed by the Company with such banks.

- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships (LLPs) or any other parties. Accordingly, the provisions of clause 3(iii)(a) - (f) of the Order are not applicable.

- (iv) The Company has not granted any loan, made investment or provided guarantees or securities. Accordingly, the provisions of clause 3(iv) of the Order are not applicable.

- (v) The Company has not accepted any deposits and in our opinion, the Company is not holding any amounts which are deemed to be deposits during the year. Further the Company had no unclaimed deposits at the beginning of the year. Accordingly, the provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.

- (vi) The Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services. Accordingly, the provisions of clause 3(vi) of the Order are not applicable.

(vii) In respect of statutory dues:

- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including goods and services tax, provident fund, income-tax, and other material statutory dues, as applicable to the Company, with the appropriate authorities during the year. There were no undisputed amounts payable in respect thereof which were outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they become payable.

We are informed that the operations of the company during the year, did not give rise to any liability for employees' state insurance, duty of customs, duty of excise, services tax, value added tax and sales tax.

- (b) According to the information and explanations given to us, there are no statutory dues referred to in sub-clause (a) that have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute except for the following cases:

Name of the statute	Nature of dues	Amount (Rs./ Lakh)	Amount paid under protest (Rs./ Lakh)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Income tax	77.82	15.60	AY 2022-23	Commissioner of Income Tax (Appeals)
Income Tax Act, 1961	Income tax	2,837.40	-	AY 2023-24	Commissioner of Income Tax (Appeals)

- (viii) According to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

(ix)

- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.
- (b) According to the information and explanations given to us, we report that the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the term loans availed by the Company were applied for the purposes for which the loans were obtained, though funds which were not required for immediate utilisation were temporarily invested pending application.
- (d) On an overall examination of the financial statements of the Company, we report that funds raised on short-term basis have prima facie, not been used for long-term purposes by the Company.
- (e) The Company did not have any subsidiary, associate or joint venture. Accordingly, the provisions of clause 3(ix)(e) of the Order are not applicable.
- (f) The Company did not have any subsidiary, associate or joint venture. Accordingly, the provisions of clause 3(ix)(f) of the Order are not applicable.

(x)

- (a) The Company had not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, the provisions of clause 3(x)(a) of the Order are not applicable.
- (b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally). Accordingly, provisions of clause 3 (x)(b) of the order are not applicable.

(xi)

- (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) To the best of our knowledge, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year and up to the date of this report.

- (xii) The Company is not a Nidhi Company. Accordingly, the provisions of clause 3(xii)(a)-(c) of the Order are not applicable.

- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with Section 188 of the Act, where applicable, and the requisite details have been disclosed in the financial statements etc., as required by the applicable accounting standards. The Company is a private limited Company; therefore, the provisions of Section 177 of the Act are not applicable to the Company.

(xiv)

- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

- (b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date, for the period under audit.

- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors, hence provisions of Section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi)

- (a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, provisions of clause 3 (xvi) (a) of the order are not applicable.
- (b) The Company has not conducted any non-banking financial or housing finance activities during the year.

- (c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, provisions of clause 3(xvi)(c) of the Order are not applicable.
- (d) The Group does not have any CIC as part of the Group.
- (xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- (xx)
- (a) In respect of other than ongoing projects, the Company has no unspent amount towards Corporate Social Responsibility (CSR) requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Act in compliance with the second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act.
- (b) In respect of ongoing projects, the Company has no unspent amount towards Corporate Social Responsibility (CSR) requiring transfer to a special account in compliance with provision of sub-section (6) of Section 135 of the said Act.
- (xxi) The Company has no subsidiary, associate or joint venture and the Company is not required to prepare consolidated financial statements. Accordingly, provisions of clause 3(xxii) of the Order are not applicable.

For **S.N. Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No.: 087701

UDIN: 25087701BMJCTE1960

Place: Gurugram

Date: 11 July 2025

Annexure B to the Independent Auditors Report on the Financial Statements of – Baani Milk Producer Company Limited for the year ended 31 March 2025

Independent Auditor's report on the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

(Referred to in paragraph 2(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our Audit Report of even date)

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of Baani Milk Producer Company Limited ("the Company") as of 31 March 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Responsibilities of management and those charged with governance for internal financial controls

The Company's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Company's business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to

financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements.

Meaning of internal financial controls with reference to financial statements

A Company's internal financial controls with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial controls with reference to financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of Management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at 31 March 2025, based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of such internal controls stated in the Guidance Note.

For **S.N. Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm's Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No.: 087701

UDIN: 25087701BMJCTE1960

Place: Gurugram

Date: 11 July 2025

Annexure C to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date to the members of Baani Milk Producer Company Limited on the financial statements as of and for the year ended 31 March 2025)

- (i) The amount of debts due from sale of goods and services are disclosed in Note 18 to the financial statements. According to the information and explanations given to us no debts are considered as doubtful as of recovery.
- (ii) According to the information and explanations given to us, cash on hand as at year end has been physically verified by the management and no discrepancies were noticed on such verification. According to the information and explanation given to us, the Company does not hold and investment securities.
- (iii) The details of assets and liabilities as at 31 March, 2025 are as per financial statements of the Company as at end and for the year ended 31 March, 2025.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not done any transaction which appears to be contrary to the provisions of part XXIA of the Companies Act, 2013.
- (v) According to the information and explanation given to us, the Company has not granted any loan to its directors.
- (vi) According to the information and explanation given to us, the Company has not given any donations or subscriptions during the year.

For **S.N. Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No.: 087701

UDIN: 25087701BMJCTE1960

Place: Gurugram

Date: 11 July 2025

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	Note No.	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at March 31, 2024 Rs./ Lakh
A. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
a. Share capital	3	1,630.61	1,409.99
b. Reserves and surplus	4	3,142.84	2,282.49
		4,773.45	3,692.48
2 Share application money pending allotment	32	91.29	62.77
3 Deferred grant	5	1,015.79	237.75
4 Non - current liabilities			
a. Long term borrowings	6	766.16	118.37
b. Other long-term liabilities	7	174.76	-
c. Long term provisions	8	-	2.45
		940.92	120.82
5 Current liabilities			
a. Short term borrowings	9	24.72	7,170.71
b. Trade payables	10		
i. Total outstanding dues of micro and small enterprises		69.55	117.26
ii. Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises		3,509.92	2,851.14
c. Other current liabilities	11	1,862.39	2,242.78
d. Short - term provisions	12	181.59	67.79
		5,648.17	12,449.68
Total		12,469.62	16,563.50
B. ASSETS			
1 Non - current assets			
a. Property, plant and equipment	13	2,688.26	675.48
b. Intangible assets	13	23.82	23.54
c. Deferred tax assets (net)	14	54.06	26.46
d. Long term loans and advances	15	187.87	133.40
e. Other non-current assets	16	3,187.81	2,884.03
		6,141.82	3,742.91
2 Current assets			
a. Inventories	17	367.63	370.69
b. Trade receivables	18	3,246.93	8,682.18
c. Cash and bank balances	19	2,514.96	3,616.25
d. Short - term loans and advances	20	143.60	112.91
e. Other current assets	21	54.68	38.56
		6,327.80	12,820.59
Total		12,469.62	16,563.50

See accompanying notes forming part of the financial statements

In terms of our report attached

For and on behalf of the Board of Directors
Baani Milk Producer Company Limited

For S.N. Dhawan & CO LLP

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N/N500045

Sd/-
Bhupinder Singh
Chairman

Sd/-
Kulpreet Rishi
Director

Sd/-
Dr Navdeep Kumar
Chief Executive &
Director

Sd/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

DIN: 08507477

DIN: 08860867

DIN: 10617607

Sd/-
Rajesh Saini
DGM- Legal & CS
M.No.A15497

Sd/-
Punit Sharma
DGM - Finance and accounts

Place: Gurugram
Date: 11.07.2025

Place: Patiala
Date: 11.07.2025

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	Note No.	Year ended March 31, 2025 Rs./ Lakh	Year ended March 31, 2024 Rs./ Lakh
1 Revenue from operations	22	69,719.48	61,468.02
2 Other income	23	313.28	265.56
3 Total Income (1+2)		70,032.76	61,733.58
4 EXPENSES			
a. Cost of material consumed	24	3,476.26	-
b. Purchases of stock-in-trade	25	61,386.00	56,955.90
c. Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade	26	33.05	390.83
d. Employee benefits expense	27	678.69	710.43
e. Finance costs	28	96.54	390.90
f. Depreciation and amortisation expense	13	345.45	160.60
g. Other expenses	29	2,718.49	2,451.31
Total expenses		68,734.48	61,059.97
5 Profit before tax (3-4)		1,298.28	673.61
6 Tax expense:			
a. Current tax		366.15	189.00
b. Deferred tax charge / (credit)	14	(27.60)	(3.67)
c. Short / (excess) provision of tax relating to prior years		(13.42)	(0.69)
Net tax expense (a+b+c)		325.13	184.64
7 Profit for the year (5-6)		973.15	488.97
8 Earnings per equity share:	30		
(Nominal value Rs. 100 per share)			
a. Basic		65.45	34.53
b. Diluted		65.38	34.51

See accompanying notes forming part of the financial statements

In terms of our report attached

For and on behalf of the Board of Directors
Baani Milk Producer Company Limited

For S.N. Dhawan & CO LLP

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N/N500045

Sd/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Sd/-
Bhupinder Singh
Chairman
DIN: 08507477

Sd/-
Kulpreet Rishi
Director
DIN: 08860867

Sd/-
Dr Navdeep Kumar
Chief Executive &
Director
DIN: 10617607

Sd/-
Rajesh Saini
DGM- Legal & CS
M.No.A15497

Sd/-
Punit Sharma
DGM - Finance and accounts

Place: Gurugram
Date: 11.07.2025

Place: Patiala
Date: 11.07.2025

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	Year ended March 31, 2025 Rs./ Lakh	Year ended March 31, 2024 Rs./ Lakh
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit before tax	1,298.28	673.61
Adjustments For :		
Finance costs	81.76	386.09
Interest income	(275.59)	(220.07)
Profit on sale of property, plant and equipment	(7.09)	(31.35)
Provision for employee benefits	(2.45)	(21.79)
Depreciation and amortisation expense	345.45	160.60
Operating Profit before working capital changes	1,440.36	947.09
Adjustments for movement in working capital:		
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade payables	611.07	600.13
Other long term liabilities	174.76	(6.71)
Other current liabilities	395.98	(120.95)
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	3.06	396.73
Trade receivables	5,435.25	(247.34)
Long term loans and advances	(172.03)	0.94
Short term loans and advances	(30.69)	(8.61)
Other non-current assets	-	(341.99)
Other current assets	(1.98)	14.34
Cash generated from operations	7,855.78	1,233.62
Net income tax (paid) (net of refunds)	(121.37)	(120.95)
Net cash flow from/(used in) operating activities - (A)	7,734.41	1,112.67
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
Net proceeds from bank balances not considered as Cash and cash equivalents	(955.58)	84.83
Purchase of property, plant and equipment	(2,560.79)	(58.74)
Proceeds from sale of property, plant and equipment	39.37	34.65
Interest received	367.18	72.42
Net cash flow from / (used in) investing activities - (B)	(3,109.82)	133.16
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Repayment of equity share capital (net of proceeds from issue of equity share capital)	157.85	(12.15)
Grant received	533.04	1,640.78
Grant utilised for revenue expenditure	(300.69)	(4.54)
Share application money received	91.29	62.77
Proceeds from long term borrowings	-	118.37
Proceeds/(Repayment) of short term borrowings (net)	(6,498.20)	371.98
Dividend Paid	(118.95)	(105.73)
Finance costs paid	(133.60)	(381.86)
Net cash flow from / (used in) financing activities - (C)	(6,269.26)	1,689.62
Net increase in Cash and cash equivalents (A+B+C)	(1,644.67)	2,935.45
Cash and cash equivalents at beginning of the year	3,041.69	106.24
Cash and Cash equivalents at the end of the year	1,397.02	3,041.69
Cash and cash equivalents comprises:		
a. Cash in hand	0.18	1.00
b. Balances with banks:		
- in current accounts	220.57	200.67
- in saving accounts	926.27	2,430.02
- In fixed deposits (original maturity of 3 months or less)	250.00	410.00
Cash and cash equivalents as per Cash Flow Statement	1,397.02	3,041.69
c. Bank balances not considered as Cash and cash equivalents		
- Deposits (original maturity more than 3 months but upto 12 months)	1,115.00	565.47
- In earmarked accounts - Unpaid dividend accounts	2.94	9.09
Cash and bank balances as per Balance Sheet (see note 19)	2,514.96	3,616.25

The amount in saving account with banks can be utilised only for the specific identified purposes i.e for JICA (Japanese International Corporation Agency) project.

See accompanying notes forming part of the financial statements

In terms of our report attached

For S.N. Dhawan & CO LLP

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No. 087701

For and on behalf of the Board of Directors

Baani Milk Producer Company Limited

Sd/-

Bhupinder Singh

Chairman

DIN: 08507477

Sd/-

Rajesh Saini

DGM- Legal & CS

M.No.A15497

Sd/-

Kulpreet Rishi

Director

DIN: 08860867

Sd/-

Punit Sharma

DGM - Finance and accounts

Sd/-

Dr Navdeep Kumar

Chief Executive &

Director

DIN: 10617607

Place: Gurugram

Date: 11.07.2025

Place: Patiala

Date: 11.07.2025

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

1 Corporate Information

Baani Milk Producer Company Limited ("the Company") was incorporated on August 11, 2014 under Part IXA of the Companies Act, 1956. The Company has started the procurement operations in the state of Punjab from 6th November, 2014. The Company procures milk directly from milk producers through 'Milk Pooling Points' (MPP) in villages of Punjab and sells to Institutional Buyers. The Company also trades in Ghee, Skimmed Milk Powder, and Cattle Feed & Supplements

2 Significant accounting policies

2.1 Basis of accounting

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the 2013 Act"). The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2.2 Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP requires management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the period in which results are known/materialize.

2.3 Cash and cash equivalents (for the purposes of Cash Flow Statement)

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.4 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non- cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

2.5 Revenue recognition

Sales are recognized, net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers, which generally coincides with the delivery of goods to customers.

2.6 Other Income

Interest income on deposits is recognized on an accrual basis.

2.7 Property, plant and equipment and intangible assets

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of Property, plant and equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, any import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, plant and equipment up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on Property, plant and equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

Intangible assets

Intangible assets are stated at their cost of acquisition, less accumulated amortization and impairment losses. An intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The depreciable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis.

The company capitalizes software costs where it is reasonably estimated that the software has an enduring useful life. Software is depreciated over the management's estimate of its useful life of three years.

Capital work-in-progress:

Assets which are not ready for their intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest if any.

2.8 Depreciation and amortisation

Depreciation on property, plant & equipment and intangible assets has been provided on straight line method as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under:

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

Description	Useful life
Plant and machinery	3 to 10 years
Computer and data processing units	3 years
Furniture and fixtures	10 years
Office equipment	5 years
Software	3 years

Note:

Useful life of assets whose cost does not exceed five thousand rupees is considered as one year.

Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

2.9 Inventories

Inventories comprise finished goods and stores and spares. Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary. Cost is determined using weighted average method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Finished goods include appropriate proportion of overheads.

2.10 Grants

Grants and subsidies are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attached to them and the grants / subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, plant and equipment are treated as deferred grants which is recognised in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset, i.e., depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the Statement of Profit and Loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue government grants and subsidies are recognized on a systematic basis over the periods in which the related costs or expenses are incurred, and are presented by deducting the grant from the related expense in the Statement of Profit and Loss.

2.11 Employee benefits

Employee benefits include Provident Fund, Employee State Insurance scheme, Gratuity and compensated absences.

i. Defined Contribution Plans :

The Company's contributions to Provident Fund and Employees State Insurance scheme is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.

ii. Defined Benefit Plans :

Gratuity is considered as defined benefit plan. Gratuity is provided based on actuarial valuation carried out at the balance sheet date. The incremental liability based on an actuarial valuation as per the 'Projected Unit Credit' method, as at the reporting date, is charged to the Statement of Profit and Loss Account. Actuarial gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss.

iii. Short-term employee benefits :

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the services. These benefits include performance incentives and compensated absences which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related services.

iv. Long-term employee benefits :

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related services are recognized as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date on the basis of actuarial valuation.

2.12 Segment reporting

The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature of risks and returns and the internal organization and management structure. The Company is primarily engaged in procurement and sale of milk and milk products. This has been considered as a single business segment.

2.13 Earning per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit after tax by weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year as adjusted to the effects of all dilutive potential equity shares, except where results are anti-dilutive.

2.14 Taxes on income

Income tax comprises current tax and deferred tax. Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and the provisions of Income Tax Act, 1961 and other applicable tax laws. Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

Deferred tax is recognized on timing differences; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

timing differences. Deferred tax assets are recognized for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realized. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that there will be sufficient future taxable income available to realize such assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legal enforceable right for such set off.

2.15 Borrowing cost

Borrowing costs includes interest and ancillary costs incurred. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset, pertaining to the period from commencement of activities relating to construction/development of qualifying asset upto the date of capitalization of such asset, are capitalized as part of the cost of that asset. All other borrowing costs are recognized as an expense in the statement of profit and loss in the year in which they are incurred.

2.16 Impairment of assets

At each balance sheet date, the Company reviews the carrying values of its Property, plant and equipment to determine whether there is any indication that those assets suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of impairment loss. Recoverable amount is the higher of an assets net selling price and value in use. In assessing value in use the estimated future cash flows expected from the continuing use of the asset and from its disposal are discounted to their present value using a pre-discount rate that reflects the current market assessments of time value of money and the risks specific to the asset.

2.17 Provisions and contingencies

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding employee benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are not recognised in the financial statements.

2.18 Leases

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

2.19 Operating cycle

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

3 Share capital

	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
	Number of shares in Lakh	Amount Rs./ Lakh	Number of shares in Lakh	Amount Rs./ Lakh
a. Authorised share capital				
Equity shares of Rs. 100 each	40.00	4,000.00	20.00	2,000.00
b. Issued, subscribed and fully paid up share capital				
Equity shares of Rs. 100 each	16.30	1,630.61	14.10	1,409.99

See notes (i) to (vi) below

Notes:

i. Rights, preferences and restrictions attached to shares

The Company has issued one class of equity shares having face value of Rs. 100 each. Each member is entitled to one vote. Members are entitled to limited return i.e. dividend and bonus in accordance with Article of Association of the Company. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential liabilities. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

ii. Reconciliation of number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year:

	As at and for the year ended March 31, 2025		As at and for the year ended March 31, 2024	
	Number of shares in Lakh	Amount Rs./ Lakh	Number of shares in Lakh	Amount Rs./ Lakh
Shares outstanding at the beginning of the year	14.10	1,409.99	13.97	1,396.88
Shares issued during the year	5.83	583.15	3.76	376.00
Shares cancelled / surrendered during the year	(3.63)	(362.53)	(3.63)	(362.89)
Shares outstanding at the end of the year	16.30	1,630.61	14.10	1,409.99

iii. None of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.

iv. No share has been issued for a consideration other than cash or by way of bonus shares during the year or 5 years immediately preceding the financial year.

v. Details of the shares held by Promoters:

Share held by Promoters at the end of the year						
Sr. No.	Promoter Name	As at 31 March, 2025		As at 31 March, 2024		% Change during the year
		No of Shares	% of total shares	No of Shares	% of total shares	
1	Pawanjeet Singh	5	0.0003%	102	0.0072%	-95.10%
2	Gagandeep Singh	-	0.0000%	5	0.0004%	-100.00%
3	Rajpal Singh	18	0.0011%	46	0.0033%	-60.87%
4	Gurmit Kaur	27	0.0017%	27	0.0019%	-
5	Ranjit Kaur	210	0.0129%	210	0.0149%	-
6	Kulwinder Singh	23	0.0014%	433	0.0307%	-94.69%
7	Gurpyar Singh	-	0.0000%	5	0.0004%	-100.00%

vi. As per Articles of Association of the Company, if board is satisfied that any member has failed to retain the qualification as a member, the board shall direct the member to surrender/cancel their shares to the Company at par value or such other value as determined by the Board. Surrendered/Cancelled equity share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold to members or otherwise cancelled as the Board thinks fit.

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at March 31, 2024 Rs./ Lakh
4 Reserves and surplus		
a. General reserve		
Opening balance	2,169.69	1,912.06
Add: Transferred from surplus in Statement of Profit and Loss	826.39	257.63
Closing balance	2,996.08	2,169.69
b. Surplus/(Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening balance	112.80	(20.76)
Profit for the year	973.15	488.97
Less:		
i. Final limited return i.e.dividend to equity shareholders for the year ended March 31, 2024 (Rs.8/share) [March 31, 2023 (Rs.7/share)]	112.80	97.78
ii. Transferred to General reserve	826.39	257.63
Closing balance	146.76	112.80
	3,142.84	2,282.49
5 Deferred grant		
Opening balance	237.75	231.07
Add: Capital grant utilised during the year (see note 37)	1,068.95	54.94
Less: Assets disposed during the year (see note 13)	13.90	9.36
Less: Depreciation on assets acquired from capital grant (see note 13)	290.22	47.71
Add: Accumulated depreciation on disposal of assets (see note 13)	13.21	8.81
Closing balance	1,015.79	237.75
6 Long term borrowings		
a. Secured		
Term loan- from financial institution		
i. Term loan from National Dairy Development Board (NDDB) (see note 'I' below)	790.88	118.37
	790.88	118.37
Less: Current maturity of long term borrowings (see note 9)	24.72	-
	766.16	118.37
Notes:		
I. Term Loan from NDDB		
Term loan of Rs.1,318.29 lakh was sanctioned by National Dairy Development Board in the previous year for financial assistance under 'National Programme for Dairy Development' of Government of India - 'Dairying through Cooperatives'. Loans amounting to Rs.790.88 lakh have been disbursed upto March 31, 2025.		
i. Rate of interest		
The loan carries a fixed interest rate of 1.50% p.a., payable on monthly basis.		
In case default in payment of installments, the unpaid amount shall attract additional interest @ 10% p.a. over and above the normal rate of interest from the scheduled date of repayment till the actual date of payment.		
ii. Details of security provided		
The loan is secured by first charge over the moveable property, plant and equipment of the Company, present and future, subject to prior charges created and/or to be created in favour of the Company's bankers.		
iii. Terms of repayment		
The term loan is repayable over a period of 8 years in 96 equal monthly installments, after a moratorium period of 2 years from the date of first disbursement (i.e. January 11, 2024).		
The Company had classified Rs 672.51 lakhs as short-term borrowings in the previous year considering the conditions specified in the sanction letter of loan.		
II. Additional notes		
a. The Company has not defaulted in the repayment of dues to its lenders.		
b. The Company has not declared as wilful defaulter by any of banks, financial institution or any other lender.		
c. Borrowings from financial institution have been used for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date.		
d. No charge or satisfaction of charge is pending for registration with Registrar of Companies.		
	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at March 31, 2024 Rs./ Lakh
7 Other long-term liabilities		
a. Trade/security deposits received	174.76	-
8 Long term provisions	174.76	-
a. Provision for employee benefits:		
i. For compensated absences (net)	-	1.62
ii. For gratuity (net) (see note 33)	-	0.83
	-	2.45
9 Short term borrowings		
a. From banks:		
Unsecured		
i. Bills discounting facility from bank (see note (i) below)	-	6,498.20
b. From financial institution:		
Secured		
i. Term loan from National Dairy Development Board (NDDB) (see note 6(i)(iii))	-	672.51
c. Current maturities of long term borrowings (see note 6)	24.72	-
	24.72	7,170.71

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

- (i) The Company has availed of the bill discounting facility from the Axis bank for the period upto 90 days from the date of the invoice. This interest rate is Repo Rate p.a (average rate 6.50%) (previous year Repo rate +0.20%, average rate 5.34%).
- (ii) The Company has taken working capital loan in the nature of bank overdraft facility from Axis Bank for a period of 12 months which is repayable on demand. During the current year, interest rate is Repo Rate+2% p.a (average rate 8.50%) (previous year Repo rate +2%, average rate 8.02%). The loan is secured against fixed deposits with the bank and current assets of the Company.

During the current year, these working capital limits were utilised only to the extent of the security of fixed deposits, and hence the requirement of filing any quarterly return or statement with banks did not arise.

10 Trade payables

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
a. Total outstanding dues of micro and small enterprises (see note 38)	69.55	117.26
b. Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	3,509.92	2,851.14
	3,579.47	2,968.40

(i) Trade payables ageing schedule

As at March 31, 2025

	Outstanding for following periods from due date of payment						Total
	Unbilled/ Accrual	Not due	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
i. Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	19.55	50.00	-	-	-	69.55
ii. Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	169.19	84.14	3,255.60	0.81	0.18	-	3,509.92
iii. Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-	-
iv. Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-	-
	169.19	103.69	3,305.60	0.81	0.18	-	3,579.47

As at March 31, 2024

	Outstanding for following periods from due date of payment						Total
	Unbilled/ Accrual	Not due	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
i. Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	86.72	30.54	-	-	-	117.26
ii. Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	96.08	24.25	2,730.41	0.30	0.10	-	2,851.14
iii. Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-	-
iv. Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-	-
	96.08	110.97	2,760.95	0.30	0.10	-	2,968.40

11 Other current liabilities

- a. Interest accrued but not due on borrowings
- b. Unclaimed dividends
- c. Advances from customers
- d. Payable for membership cancellation
- e. Trade/security deposits received
- f. Unutilised grant (see note 37 (B))
- g. Statutory remittances
- h. Payable for purchase of property, plant and equipment (see note below)
- i. Lease equalisation reserve

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
a. Interest accrued but not due on borrowings	-	51.84
b. Unclaimed dividends	2.94	9.09
c. Advances from customers	117.80	63.73
d. Payable for membership cancellation	19.06	42.79
e. Trade/security deposits received	611.69	396.44
f. Unutilised grant (see note 37 (B))	742.05	1,581.34
g. Statutory remittances	174.86	30.45
h. Payable for purchase of property, plant and equipment (see note below)	181.90	60.99
i. Lease equalisation reserve	12.09	6.11
	1,862.39	2,242.78

Note: Payable for property, plant and equipment includes payable to micro and small enterprises for Rs. 181.90 lakh (Previous year Rs Nil.)

12 Short term provisions

- a. Provision for income tax (net of advance tax)

	181.59	67.79
	181.59	67.79

13. Property, plant and equipment and intangible assets

	Particulars	Gross block			Accumulated depreciation			Net block	
		As at April 1, 2024 Rs./ Lakh	Additions Rs./ Lakh	Disposals Rs./ Lakh	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at April 1, 2024 Rs./ Lakh	Charge for the year Rs./ Lakh	On disposal Rs./ Lakh	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh
a.	Property, plant and equipment (owned)								
i.	Plant and equipment	2,173.17 (2,100.89)	2,510.96 (110.48)	514.59 (38.20)	4,169.54 (2,173.17)	1,534.05 (1,373.92)	502.59 (195.62)	483.45 (35.49)	2,615.95 (639.12)
ii.	Furniture and fixtures	116.27 (118.41)	121.84 (1.94)	1.85 (4.08)	236.26 (118.27)	101.25 (97.05)	120.96 (7.41)	1.76 (3.21)	15.81 (15.02)
iii.	Office equipment	40.97 (40.40)	18.19 (1.30)	9.87 (0.73)	48.29 (40.97)	36.87 (35.60)	1.38 (1.76)	23.85 (36.87)	19.73 (4.10)
iv.	Computers	13.65 (245.13)	0.31 (4.32)	0.42 (6.32)	13.54 (245.16)	13.97 (231.98)	0.01 (6.38)	12.58 (37.24)	0.68 (13.39)
	Total (A)	2,676.23	2,670.63	534.63	4,724.25	1,900.77	634.17	498.95	2,689.26
	Previous year	(2,504.83)	(119.38)	(47.96)	(2,576.25)	(1,738.75)	(206.12)	(44.10)	(1,900.77)
b.	Intangible assets (other than self generated)								
i.	Computer software	429.45 (429.10)	2.07 (0.35)	5.89 (-)	425.63 (429.45)	405.91 (403.72)	1.50 (2.19)	5.60 (-)	401.81 (23.54)
	Total (B)	429.45	2.07	5.89	425.63	405.91	1.50	5.60	401.81
	Previous year	(429.10)	(0.35)	(-)	(429.45)	(403.72)	(2.19)	(-)	(23.54)
	Total (A + B)	3,005.70	2,681.70	537.52	5,149.88	2,306.68	635.67	504.55	2,437.80
	Previous year	(2,933.93)	(119.73)	(47.96)	(3,005.70)	(2,142.47)	(208.31)	(44.10)	(2,306.68)

Notes:

(i) **Depreciation and amortisation expense**
Depreciation on property, plant and equipment
Amortisation of intangible assets

Less: Depreciation pertaining to assets acquired on grant (see note below)

	Year ended Rs./ Lakh	Year ended Rs./ Lakh
March 31, 2025	634.17	206.12
March 31, 2024	1.50	2.19
	635.67	208.31
	290.22	47.71
	345.45	160.60

(ii) Figures in brackets represent previous year figures.

(iii) The details of assets purchased out of capital grant and included in the above schedule are given below (see note 5 and 37)

	Particulars	Gross block			Accumulated depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2024 Rs./ Lakh	Additions Rs./ Lakh	Disposals Rs./ Lakh	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at April 1, 2024 Rs./ Lakh	Charge for the year Rs./ Lakh	On disposal Rs./ Lakh	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh
a.	Property, plant and equipment (owned)								
i.	Plant and equipment	636.55 (593.15)	959.78 (54.94)	3.94 (1.54)	1,592.39 (636.55)	430.79 (384.62)	187.77 (47.56)	3.74 (1.39)	614.82 (430.79)
ii.	Furniture and fixtures	42.02 (44.53)	107.26 (-)	1.85 (2.51)	147.43 (42.02)	39.66 (41.89)	102.06 (0.15)	1.76 (2.38)	139.96 (39.66)
iii.	Office equipment	13.65 (14.01)	0.31 (-)	0.42 (0.36)	13.54 (13.65)	13.97 (13.11)	0.01 (-)	0.40 (0.34)	12.58 (12.97)
iv.	Computers	207.06 (212.01)	1.80 (-)	1.89 (4.95)	209.86 (207.06)	198.71 (201.41)	0.38 (4.70)	1.71 (4.70)	195.38 (196.71)
	Total (A)	899.28	1,069.95	8.01	1,969.22	689.13	290.22	7.51	992.74
	Previous year	(853.70)	(54.94)	(8.36)	(899.28)	(641.23)	(47.71)	(8.51)	(680.13)
b.	Intangible assets (other than self generated)								
i.	Computer software	371.89 (371.89)	- (-)	5.89 (-)	366.00 (371.89)	353.29 (353.29)	- (-)	5.60 (-)	347.69 (18.60)
	Total (B)	371.89	-	5.89	366.00	353.29	-	5.60	347.69
	Previous year	(371.89)	(-)	(-)	(371.89)	(353.29)	(-)	(-)	(18.60)
	Total (A + B)	1,271.17	1,069.95	13.90	2,326.22	1,033.42	290.22	13.21	1,310.43
	Previous year	(1,221.59)	(54.94)	(8.36)	(1,271.17)	(994.52)	(47.71)	(8.51)	(1,033.42)

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2024 Rs./ Lakh						
14 Deferred tax assets								
Tax effect of items constituting deferred tax assets:								
a. On difference between book balance and tax balance of property, plant and equipment	51.02	24.30						
b. Provision for compensated absences and gratuity	-	0.62						
c. Provision for lease equalization	3.04	1.54						
Net deferred tax assets/ (liabilities)	54.06	26.46						
Deferred tax charge/(credit) transferred to statement of profit and loss	(27.60)	(3.67)						
15 Long term loans and advances								
(Unsecured, considered good)	15.05	132.61						
a. Advance income tax (net)	157.22	0.79						
b. Prepaid expenses	15.60	-						
c. Tax demand paid under protest (see note 31)	187.87	133.40						
16 Other non-current assets								
a. Security deposits	8.59	8.59						
b. Fixed deposits with banks (see note i below)	3,140.47	2,728.27						
c. Interest accrued but not due on bank deposits	38.75	147.17						
	3,187.81	2,884.03						
Note:								
i. These comprise fixed deposits under lien of Rs.1.74 lakh (previous year Rs.1.51 lakh) with Sales Tax department and fixed deposits amounting to Rs.2,373.73 lakh (previous year Rs.2,226.76 lakh) pledged against bank overdraft facility.								
17 Inventories								
(At lower of cost and net realisable value)								
a. Raw material (including packing material)	3.49	-						
b. Finished goods								
-Ghee	114.66	-						
-Milk powder	127.60	-						
c. Stock in trade								
-Raw milk (including in transit- Rs. Nil, previous year Rs.293.16 lakh)	25.69	332.60						
-Cattle feed, mineral mixture and others	55.75	24.15						
d. Stores and spares	40.44	13.94						
	367.63	370.69						
18 Trade receivables								
i. Trade receivables-billed	2,760.99	8,682.18						
ii. Trade receivables-unbilled	485.94	-						
	3,246.93	8,682.18						
i. Secured, considered good	0.62	37.00						
ii. Unsecured, considered good	3,246.31	8,645.18						
iii. Doubtful	-	-						
	3,246.93	8,682.18						
Allowance for bad and doubtful debts								
i. Secured, considered good	-	-						
ii. Unsecured, considered good	-	-						
iii. Doubtful	-	-						
	-	-						
Trade receivables ageing schedule	3,246.93	8,682.18						
As at March 31, 2025								
	Outstanding for following periods from due date of payment							
	Unbilled	Not due	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
i. Undisputed trade receivables - considered good	485.94	419.73	2,341.20	0.06	-	-	-	3,246.93
ii. Undisputed trade receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. Disputed trade receivables - considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. Disputed trade receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
	485.94	419.73	2,341.20	0.06	-	-	-	3,246.93
As at March 31, 2024								
	Outstanding for following periods from due date of payment							
	Unbilled	Not due	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
i. Undisputed trade receivables - considered good	-	1,969.24	6,712.93	0.01	-	-	-	8,682.18
ii. Undisputed trade receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. Disputed trade receivables - considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. Disputed trade receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1,969.24	6,712.93	0.01	-	-	-	8,682.18
19 Cash and bank balances								
a. Cash and cash equivalents								
i. Cash in hand		0.18	1.00					
ii. Balance with banks:								
- In current accounts		220.57	200.67					
- In saving accounts		926.27	2,430.02					
- In fixed deposits (original maturity of 3 months or less)		250.00	410.00					
Cash and cash equivalents (A)		1,397.02	3,041.69					
(as per AS 3 - Cash Flow Statement)								
b. Other bank balances								
i. In deposit accounts (original maturity more than 3 months)		1,115.00	565.47					
ii. In earmarked accounts								
- Unpaid dividend accounts		2.94	9.09					
		1,117.94	574.56					
Total cash and bank balances [(a)+(b)]		2,514.96	3,616.25					

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2024 Rs./ Lakh
20 Short - term loans and advances		
(Unsecured, considered good)		
a. Advances to vendors	12.85	70.23
b. Prepaid expenses	99.05	41.48
c. Advance contribution to gratuity fund (net) [see note 33]	4.66	-
d. Advance contribution to compensated absence fund (net)	24.30	-
e. Balances with government authorities	2.74	1.20
	143.60	112.91
21 Other current assets		
(Unsecured, considered good)		
a. Interest accrued but not due on bank deposits	51.14	34.31
b. Grant receivable (see note 37 [A])	1.46	4.15
c. Other recoverables	2.08	0.10
	54.68	38.56
	Year ended March 31, 2025 Rs./ Lakh	Year ended March 31, 2024 Rs./ Lakh
22 Revenue from operations		
a. Sale of products (see note (i) below)	70,767.46	69,491.70
i. Gross Sale	1,071.31	8,045.93
ii. Less: sale to third party i.e. milk processors for repurchase (see note 'I' below)	69,696.15	61,445.77
iii. Net Sales (see note 'II' below)	23.33	22.25
b. Other operating revenue	23.33	22.25
i. Professional charges	69,719.48	61,468.02
Note:		
I. This represents sales made to third party for processing and packaging of milk and milk products which is re-purchased from them for sale to customers.		
II. Sale of products comprises:		
Manufactured/processed goods		
a. Ghee	2,049.20	-
b. Milk powder	1,395.14	-
c. Pasteurized milk	136.30	-
Traded goods	3,580.64	-
a. Raw milk	62,195.25	49,756.92
b. Processed milk and milk products	1,512.71	10,467.89
c. Cattle feed and others	2,407.55	1,220.96
	66,115.51	61,445.77
	69,696.15	61,445.77
23 Other income		
a. Interest income		
i. On deposits with banks	275.59	220.07
ii. On income tax refund	7.07	-
iii. Others	0.05	-
b. Other non-operating income		
i. Membership fee	12.99	7.07
ii. Profit on sale of property, plant and equipment (net)	7.09	31.35
iii. Liability no longer required written back	1.04	0.76
iv. Miscellaneous income	9.45	6.31
	313.28	265.56
24 Cost of material consumed		
Raw material (including packing material)		
a. Opening stock	-	-
b. Add: Purchases	3,479.75	-
	3,479.75	-
c. Less: Closing stock	3.49	-
	3,476.26	-
25 Purchases of stock-in-trade		
a. Raw milk	58,011.25	46,506.25
b. Processed milk and milk products	1,322.06	9,337.36
c. Cattle feed and others	2,052.69	1,112.29
	61,386.00	56,955.90
26 Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade		
a. Inventories at the beginning of the year		
Finished goods	-	-
Stock-in-trade	356.75	747.58
	356.75	747.58
b. Inventories at the end of the year		
Finished goods	242.26	-
Stock-in-trade	81.44	356.75
	323.70	356.75
Net (increase)/decrease in inventories	33.05	390.83
27 Employee benefits expense		
a. Salaries and wages	614.34	642.39
b. Contribution to provident and other funds	37.71	42.39
c. Contribution to gratuity fund (see note 33)	14.58	17.89
d. Staff welfare expenses	12.06	7.76
	678.69	710.43

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO. - U01403PB2014PTC038826

	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
28 Finance costs		
a. Interest on borrowings		
-On term loan	11.86	2.00
-On bill discounting	61.51	374.66
-On cash credit/overdraft	8.39	9.43
b. Interest on delayed payment of statutory dues	14.78	4.81
	96.54	390.90
29 Other expenses		
a. Consumption of stores and spares	82.90	65.39
b. Power and fuel	9.67	7.43
c. Rent	68.46	49.31
d. Rates and taxes	28.48	15.57
e. Contractual and retainership expenses	534.91	410.65
f. Repair and maintenance - machinery	56.62	134.49
g. Repair and maintenance - others	10.25	7.28
h. Freight, forwarding and distribution expenses	1,224.07	1,398.14
i. Insurance charges	31.17	33.14
j. Legal and professional fees	98.62	19.48
k. Printing and stationery	12.37	12.10
l. Auditor's remuneration (see note (i) below)	10.62	18.56
m. IT expenses	103.45	96.48
n. Travelling and conveyance	124.35	84.13
o. Communication expenses	18.63	16.40
p. Conversion/processing charges	239.27	-
q. Advertisement and publicity	18.06	46.73
r. Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure (see note 41)	6.07	-
s. Miscellaneous expenses	40.52	36.03
	2,718.49	2,451.31
Note:		
(i) Auditors' remuneration comprises:		
a. Statutory audit fee	7.50	13.48
b. Tax audit fee	1.00	1.84
c. Re-imbursement of expenses	0.50	0.41
d. GST on above	1.62	2.83
	10.62	18.56
30 Earning per share		
Particulars	Unit	
Net profit/(Loss) after tax attributable to equity shareholders	Rs./ Lakh	973.15
Weighted average number of equity shares outstanding during the year	Numbers	14,86,905
Nominal value per equity shares	Rs.	100
Basic earnings per share	Rs.	65.45
Add: Effect of share application money	Numbers	1,526
Weighted average number equity shares used to compute diluted earnings per share	Numbers	14,88,431
Diluted earnings per share	Rs.	65.38
		34.51
31 Contingent liabilities and commitments	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2024 Rs./ Lakh
Particulars		
A. Contingent liabilities		
a. Bank guarantees issued on behalf of the Company		
i. Guarantee given to Sales Tax department	1.00	1.00
b. Claims against the Company not acknowledged as debt:		
i. Disputed tax and other liabilities for:		
- Income tax	2,915.22	77.82
- Goods and services tax	-	1.15
ii. Summary of amount paid under protest against above:	2,915.22	78.97
- Income tax	15.60	-

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
B. Commitments		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on property, plant and equipment and intangible assets	323.36	341.82
C. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.		
D. There has been no delay in transferring amounts to the Investor Education and Protection Fund by the Company		
32 Share application money pending allotment		
As at 31 March 2025, the Company has received an amount of Rs. 91.29 lakhs towards share application money towards 91,291 equity share of the Company (As at 31 March, 2024 Rs 62.77 lakhs towards share application money towards 62,770 equity shares) at a premium of Rs. Nil (As at 31 March, 2024 Rs. Nil). The Company has sufficient authorised capital to cover the allotment of these shares. Subsequently, the Company has allotted 91,173 shares and surrendered/cancelled 118 shares on 14 May 2025.		
33 Employee benefit plans		
Defined-contribution plans		
The Company offers its employees defined contribution plan in the form of Provident Fund and Family Pension Fund. Provident Fund and Family Pension Fund cover all employees. Provident Fund Contribution is deposited with the Regional Provident Fund Commissioner (RPF). Both the employees and the Company pay contributions at the rate specified under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.		
The Company's contributions towards provident fund is charged to the Statement of Profit and Loss comprises :		
	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Contribution towards provident fund and other funds	37.71	42.39
Defined-benefits plans		
The Company offers its employees defined-benefit plan in the form of a gratuity scheme i.e. a lump sum amount at the time of separation. Benefits under the defined benefit plan are based on years of service and the employee's compensation immediately before separation. Commitments are actuarially determined at year-end. The gratuity scheme covers all employees. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit" method. Gains and losses of changed actuarial assumptions are charged to the Statement of Profit and Loss.		
The following tables sets out the funded status of the defined benefit plan in respect of gratuity and amount recognised in the financial statements.		
	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
i. Change in defined benefit obligation		
Present value of obligations at the beginning of the year	112.93	109.67
Interest cost	6.37	7.25
Current service cost	11.73	14.63
Benefits paid	(49.77)	(22.63)
Actuarial (gain)/loss on obligation	2.67	4.01
Present value of obligations at the end of the year	<u>83.93</u>	<u>112.93</u>
ii. Fair value of plan assets		
Fair value of plan assets at the beginning of the year	112.10	117.06
Expected return on plan assets	6.16	7.45
Contribution made	18.63	10.81
Withdrawals	(48.32)	(23.77)
Actuarial gain/(loss) on plan assets	0.03	0.55
Fair value of plan assets at the end of the year	<u>88.60</u>	<u>112.10</u>
The planned assets of the Company are managed by Life Insurance Corporation of India (LIC) in terms of an insurance policy taken to fund obligations of the Company with respect to its gratuity plan.		
iii. Return on plan assets		
Expected return on plan assets	6.16	7.45
Actuarial gain/(loss) on plan assets	0.03	0.55
Actual return on plan assets	<u>6.19</u>	<u>8.00</u>
iv. Amount recognised in the Balance Sheet		
Present value of defined benefit obligations	83.93	112.93
Fair value of plan assets	88.60	112.10
Net liability/(asset) recognised in the balance sheet	<u>(4.67)</u>	<u>0.83</u>

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at March 31, 2024 Rs./ Lakh
v. Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss		
Current service costs	11.73	14.63
Interest cost	6.37	7.25
Expected return on plan assets	(6.16)	(7.45)
Net actuarial gain/(loss) recognized during the year	2.64	3.46
Expense recognized in the Statement of Profit and Loss	14.58	17.89
vi. Balance Sheet reconciliation		
Net liability/(asset) at the beginning of the year	0.83	(7.39)
Expense as above	14.58	17.89
Contributions	18.63	10.81
Withdrawals	1.45	(1.14)
Net liability/(asset) at the end of the year	(4.67)	0.83
vii. Principal actuarial assumptions		
Discount rate	7.01% p.a	7.24% p.a
Expected salary escalations	10.00% p.a.	10.00% p.a.
Expected return on plan assets	7.67% p.a	6.74% p.a
Attrition rate	15.00% p.a	15.00% p.a
Remaining Working Life	23.25 Years	21.46 Years
Mortality table used	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

The expected rate of return on plan assets is determined after considering several applicable factors such as the composition of the plan assets, market scenario, historical results on plan assets etc.

The discount rate is based on prevailing market yields of Government of India securities as at the balance sheet date for the estimated term of obligation which is equal to remaining working life.

The estimates of future salary increases considered, takes into account the inflation, seniority, promotions, increments and other relevant factors.

viii. Experience adjustment

	March 31, 2025 Rs./ Lakh	March 31, 2024 Rs./ Lakh	March 31, 2023 Rs./ Lakh	March 31, 2022 Rs./ Lakh	March 31, 2021 Rs./ Lakh
Present value of obligation	83.93	112.93	109.67	96.55	75.27
Fair value of plan assets	88.60	112.10	117.06	97.77	68.00
Funded status	6.19	8.00	7.31	(1.22)	7.27
Gain/(loss) on obligations	2.67	4.01	1.76	(0.39)	0.11
Gain/(loss) on plan assets	0.03	0.55	0.19	(0.01)	0.02

ix. Actuarial assumptions for compensated absences:

Actuarial assumptions used for valuation of liability for compensated absences is same as vii above.

34 Leasing arrangements

The Company has entered into operating lease arrangements for office premises. The lease agreement is for a period of nine years from the start date of the respective lease arrangement. The lease agreement provides for increase in lease payments by 5% every year. Future minimum lease payments are disclosed below:

Future minimum lease payment are:

	As at March 31, 2025 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2024 Rs./ Lakh
Particulars	35.62	33.93
Payable not later than one year	161.21	153.53
Payable later than one year but not later than five years	101.22	144.52
Payable later than five years	298.05	331.98

The lease rental expenses of Rs.68.46 Lakh (previous year Rs. 49.31 Lakh) in respect of obligation under operating leases have been recognised in the statement of profit and loss.

35 Related party disclosures

A. Name of the related parties and nature of relationship

Name of person	Nature of relationship
Key managerial personnel:	
Navdeep Kumar	Chief Executive and Director (w.e.f. May 04, 2024)
Narinder Singh Bahga	Chief Executive and Director (upto May 03, 2024)
Narinder Singh Bahga	Expert Director (w.e.f. May 04, 2024)

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

Raghu Hasan Mallegowda	Expert Director
Saugata Mitra	Expert Director
Bhupinder Singh	Director
Kulpreet Rishi	Director
Ranjit Kaur	Director
Gurlal Singh	Director
Parmjeet Kaur	Director
Sukhpal Singh	Director
Sandeep Kaur	Director
Kuldeep Singh	Director (w.e.f. 20 September 2024)
Satnam Singh	Director (w.e.f. 25 August, 2023)
Gurdeep Singh	Director (w.e.f. 25 August, 2023)
Mandeep Singh	Director (w.e.f. 25 August, 2023)
Gagandeep Singh	Director (upto 16 January 2024)
Jaspal Singh	Director (upto 25 August, 2023)
Manjeet Kaur	Director (upto 25 August, 2023)

B. The nature and volume of transactions with the above related parties are as follows:

Name of related party	Nature of transaction	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
		Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Narinder Singh Bahga*	Managerial remuneration	78.29	79.64
		78.29	79.64
Sukhpal Singh	Sitting fees	0.41	0.25
Ranjit Kaur	Sitting fees	0.47	0.21
Parmjeet Kaur	Sitting fees	0.41	0.21
Bhupinder Singh	Sitting fees	0.70	0.29
Kulpreet Rishi	Sitting fees	0.44	0.21
Sandeep Kaur	Sitting fees	0.44	0.25
Gurlal Singh	Sitting fees	0.54	0.21
Satnam Singh	Sitting fees	0.41	0.14
Mandeep Singh	Sitting fees	0.41	0.14
Gurdeep Singh	Sitting fees	0.37	0.14
Kuldeep Singh	Sitting fees	0.26	-
Gagandeep Singh	Sitting fees	-	0.18
Jaspal Singh	Sitting fees	-	0.07
Manjeet Kaur	Sitting fees	-	0.07
		4.86	2.37
Ranjit Kaur	Purchase of milk	4.54	5.16
Kulpreet Rishi	Purchase of milk	4.65	11.51
Sukhpal Singh	Purchase of milk	6.53	6.96
Parmjeet Kaur	Purchase of milk	2.49	2.56
Bhupinder Singh	Purchase of milk	3.14	2.97
Sandeep Kaur	Purchase of milk	1.74	1.03
Gurlal Singh	Purchase of milk	0.40	1.13
Satnam Singh	Purchase of milk	0.44	0.48
Mandeep Singh	Purchase of milk	1.94	1.40
Gurdeep Singh	Purchase of milk	1.55	1.25
Kuldeep Singh	Purchase of milk	3.05	-
Manjeet Kaur	Purchase of milk	-	2.93
Gagandeep Singh	Purchase of milk	-	0.30
		30.47	37.68

* Current year managerial remuneration includes the amount of gratuity and leave encashment paid in full and final settlement.

C. Balances outstanding at year end

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Trade payables	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Ranjit Kaur	0.22	0.13
Kulpreet Rishi	0.13	0.40
Sukhpal Singh	0.39	0.32
Parmjeet Kaur	0.13	0.10
Bhupinder Singh	0.18	0.13
Sandeep Kaur	0.09	0.03
Gurlal Singh	0.01	0.03
Satnam Singh	0.03	0.01
Mandeep Singh	0.08	0.10
Gurdeep Singh	0.02	0.06
Kuldeep Singh	0.21	-
Manjeet Kaur	-	0.02
	1.49	1.33

Note: All amounts are inclusive of goods and services tax.

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

36. Disclosure of financial ratios

Particulars	Numerator	Denominator	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024	Variance (%)	Reason for variance
a. Current ratio	Current assets	Current liabilities	1.12	1.03	9%	
b. Debt equity ratio	Total debt	Equity shareholder's fund	0.17	1.97	-91%	Note 1
c. Debt service coverage ratio	Net operating income	Total debt service	0.26	3.21	-92%	Note 2
d. Return on equity ratio	Net profit after tax	Equity shareholder's fund	22.99%	14.01%	64%	Note 3
e. Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average inventory	175.79	100.78	74%	Note 4
f. Trade receivables turnover ratio	Net sales	Average trade receivables	11.69	7.18	63%	Note 5
g. Trade payables turnover ratio	Net purchases	Average trade payables	19.81	21.30	-7%	
h. Net capital turnover ratio	Net sales	Average working capital	132.73	177.00	-25%	
i. Net profit ratio	Net profit after tax	Net sales	1.40%	0.80%	75%	Note 3
j. Return on capital employed	Earnings before interest and tax	Capital employed	20.45%	25.88%	-21%	
k. Return on investment	Earning on investments	Average investments	NA	NA	-	

Working of the ratios

Basis of ratios	Year ended March 31, 2025	Ratio	Year ended March 31, 2024	Ratio
a. Current ratio				
Current assets	6,327.80	1.12	12,820.59	1.03
Current liabilities	5,648.17		12,449.68	
b. Debt equity ratio				
Total debt (Long term borrowings + Short term borrowings)	790.88	0.17	7,289.08	1.97
Equity shareholder's fund (Share capital + Reserves and surplus)	4,773.45		3,692.48	
c. Debt service coverage ratio				
Net operating income (Profit before tax + Finance cost + Depreciation and amortisation expense)	1,740.27	0.26	1,225.11	3.21
Total debt service (Interest repayments + Principal repayments)	6,631.80		381.86	
d. Return on equity ratio				
Profit after tax	973.15	22.99%	488.97	14.01%
Equity shareholder's fund (Share capital + Reserves and surplus)	4,232.97		3,490.33	
e. Inventory turnover ratio				
Cost of goods sold	64,895.31	175.79	57,346.73	100.78
Average inventory [(opening inventory + closing inventory)/2]	369.16		569.06	
f. Trade receivables turnover ratio				
Net sales (Total sales - Sales return)	69,719.48	11.69	61,468.02	7.18
Average trade receivables [(opening receivables+closing receivables)/2]	5,964.56		8,558.51	
g. Trade payables turnover ratio				
Net purchases (Purchases - Purchases return)	64,865.75	19.81	56,955.90	21.30
Average trade payables [(opening payables+closing payables)/2]	3,273.94		2,674.45	
h. Net capital turnover ratio				
Net sales (Total sales - Sales return)	69,719.48	132.73	61,468.02	177.00
Average working capital = [(opening working capital + closing working capital)/2]	525.27		347.29	
i. Net profit ratio				
Profit after tax	973.15	1.40%	488.97	0.80%
Net sales (Total sales - Sales return)	69,719.48		61,468.02	
j. Return on capital employed				
Earnings before interest and tax	1,394.82	20.45%	1,064.51	25.88%
Capital employed (Total assets - Current liabilities)	6,821.45		4,113.82	
k. Return on investment				
	NA		NA	

Notes:

- 1 Substantial reduction in short term borrowings and increase in the shareholders equity, has lead to decrease in the ratio.
- 2 There has been significant decrease in the ratio due higher principal repayments of debt made during the current year.
- 3 Increase in the profitability of the Company has led to increase in the ratio.
- 4 Increase in the revenue and reduction in inventories has lead to increase in the ratio.
- 5 Due to increase in revenue and substantial decrease in the average trade receivables, the ratio has increased.

37 Unutilised grant / (Grant receivables)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
i. Details of grants received and its utilisation		
Grant for operating/capital expenditure	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
A Mastitis Control Popularization Project		
a. Opening Balance	(4.15)	(4.11)
b. Received during the year	4.15	4.11
c. Utilised during the year		
For revenue expenses	1.46	4.15
Total utilised	1.46	4.15
d. Balance Unutilised grant / (Grant receivables) (a+b-c)	(1.46)	(4.15)
B National Programme for Dairy Development		
a. Opening Balance	1,581.34	-
b. Received during the year	542.26	1,623.30
c. Interest earned on grant during the year	37.56	13.42
d. Utilised during the year	2,161.16	1,636.72
(i) For capital assets (see note 5)	1,068.95	54.94
(ii) For revenue expenses	299.23	0.39
Total utilised (i) + (ii)	1,368.18	55.33
e. Amount refunded	50.93	0.05
f. Balance Unutilised grant / (Grant receivables) (a+b+c-d-e)	742.05	1,581.34

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

ii. Terms of grant:

A. Mastitis Control Popularization Project (MCP)

The grant aims to support the implementation of mastitis control activities, including procurement of diagnostic kits, studies on mastitis control efficacy, training, and awareness campaigns among farmers.

Under this project reimbursement will be made for actual expenses incurred on the approved components for the period 2022-2025.

B. National Programme for Dairy Development:

a. Total sanctioned amount of grant is Rs. 3,136.72 lakhs

b. For a period of three years, commencing from 1 April 2023 to 31 March 2026

c. Nature and purpose of the grant:

Financial assistance under 'National Programme for Dairy Development' of Government of India - 'Dairying through Cooperatives' for objective of creation of necessary dairy infrastructure for the purpose of providing market linkages for the produce in villages and for strengthening of capacity building of stake-holding institutions from village to State level.

iii. Grant utilisation

a. Grant for capital expenditure

The grant utilised for capital expenditure has been recorded as deferred grant which subsequently adjusted with the amortisation expenses of property plant and equipment acquired from the grant on systematic basis. (see note 5)

b. Grant for operating expenditure

The grant received for the specific expenditure has been recognised as liability till the utilisation of the grant, when the expenditure incurred the Company has netted off the grant with the related expenditure incurred. (see note 2.10)

38 Disclosure required under section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	251.45	117.26
(ii) Interest amount due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid	-	-
Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Management. This has been relied upon by the auditors.		

39 Audit trail

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its notification number G.S.R. 206(E) dated March 24, 2021 (amended from time to time) in reference to the proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2021, introduced the requirement, where every company which uses accounting software for maintaining its books of account, shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, and ensuring that the feature of audit trail cannot be disabled.

During the year, the Company has used accounting software for maintaining its books of account wherein audit trail feature at the application level operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the accounting software except that the audit trail feature was not enabled for certain tables at the application level for which specific user has access and at the database level to log any direct data changes.

The Company had also used a software for maintaining records related to purchase, which did not have a feature of recording audit trail (edit log) facility.

Additionally, the audit trail of prior year has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention to the extent it was enabled and recorded in the respective year.

40 Segment reporting

The disclosures as required under Accounting Standard AS-17 on Segment reporting are not required as the Company primarily deals in single business segment of Milk and Milk Products and operates in one geographical area.

41 Expenditure on Corporate Social Responsibility (CSR):

As per Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to spend, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years in accordance with its CSR policy.

a. Contribution to CSR

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2025	March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Amount required to be spent during the year (A)	6.07	-
(Surplus)/Shortfall amount of previous year (B)	-	-
Total (A+B)	6.07	-
Amount spent on CSR	6.07	-
Shortfall amount of current year (C)	-	-
b. Details of CSR expenses incurred towards:		
Eradicating malnutrition and promoting health care	6.07	-
	6.07	-
(Surplus)/Shortfall amount of previous year (B)	-	-

c. Details of CSR expenditure under section 135(5) of the Act in respect of other than ongoing projects:

Balance as at the beginning of the year

- -

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CIN NO.- U01403PB2014PTC038826

	For the year ended	
	March 31, 2025	March 31, 2024
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Amount required to be spent during the period	6.07	-
Amount deposited in a specified fund of Schedule VII of the Act with in 6 months	-	-
Amount spent during the year	6.07	-
Balance as at the closing of the year	-	-
d. The Company has not contributed in the nature of CSR expenditure to related party covered under AS 18, Related party disclosures.		
e. The Company does not have any ongoing projects as at March 31,2025		
42 In respect of the year ended March 31, 2025, the directors in their meeting dated July 11, 2025 have proposed a final dividend of Rs.9/- per share (Rs.146.76 Lakh) to be paid on fully paid equity shares. The equity dividend is subject to approval by shareholders at the Annual General Meeting and has not been included as a liability in the financial statements. The proposed equity dividend is payable to all holders of fully paid equity shares.		
43 Other statutory information		
a. During the current financial year, company has not undertaken any transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.		
b. No penalties were imposed by the regulator during the financial year ended March 31,2025		
c. The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income-tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income-tax Act, 1961). Further, there was no previously unrecorded income and no additional assets were required to be recorded in the books of account during the year.		
d. During the current year company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium) to any other person(s) or entities, including foreign entities (intermediaries).		
e. The Company has neither traded nor invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year ended March 31, 2025. Further, the Company has also not received any deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency or Virtual Currency.		
f. There are no proceedings that have been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended from time to time) (earlier Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988) and the rules made thereunder.		
g. The Company have not received any fund from any person or entity, including foreign entity (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:		
(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or		
(ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.		
h. The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall		
(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or		
(ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.		
i. The Company has not made any further investments in any company, hence clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable on the Company.		
44 In the opinion of the Board of Directors, the assets other than property, plant and equipment, intangible assets have a realisation value in the ordinary course of business at least equal to the amounts at which they are stated.		
45 Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.		

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/- Bhupinder Singh Chairman DIN: 08507477	Sd/- Kulpreet Rishi Director DIN: 08860867	Sd/- Dr Navdeep Kumar Chief Executive & Director DIN: 10617607
Sd/- Rajesh Saini DGM- Legal & CS M.No.A15497	Sd/- Punit Sharma DGM - Finance & Accounts	

Place: Patiala
Date: 11.07.2025

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की 11वीं वार्षिक आम सभा का कार्य विवरण, जो शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को हरपाल तिवाना सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाभा रोड, पटियाला-147001 में आयोजित की गई, जो सुबह 11.00 बजे शुरू हुई और 11.40 बजे समाप्त हुई।

	बैठक में उपस्थित सदस्य:		
1.	श्री भूपिंदर सिंह	:	अध्यक्ष एवं अंशधारक
2.	श्रीमती रणजीत कौर	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती संदीप कौर	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री सुखपाल सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री गुरलाल सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती परमजीत कौर	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री कुलप्रीत ऋषि	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री सतनाम सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री गुरदीप सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री मनदीप सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री नरिंदर सिंह बाहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
12.	श्री नवदीप कुमार	:	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
13.	श्री राजेश सेनी	:	कम्पनी सचिव

117 अंशधारक, जिनके पास 7000 इक्विटी शेयर थे, वह उपस्थित थे और 14824 शेयरधारक जिनके पास 723925 इक्विटी शेयर थे, प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे।

इसके साथ ही रजिस्ट्रार बीटल फाइनांसियल और कंप्यूटर सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड टीम के दो सदस्य भी मौजूद थे।

श्री रघु हसन मल्लेगोड़ा और श्री सौगत मित्रा, विशेषज्ञ निदेशक और एस.बी. बिलिमोरिया एंड कम्पनी, कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक उपरोक्त 11वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित नहीं हो सके और बैठक में उपस्थित न हो पाने का कारण बैठक में बताया गया।

- सर्वसम्मति से सभा की अध्यक्षता श्री भूपिंदर सिंह ने की।
 - अध्यक्ष की अनुमति से, 11वीं वार्षिक आम सभा में कोरम की घोषणा की गई। इसके अलावा, कम्पनी सचिव ने बताया कि सदस्यों का रजिस्टर, प्रॉक्सी रजिस्टर, निदेशकों की अंशधारिता रजिस्टर और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद आम सभा की कार्यवाही शुरू की गई।
 - अध्यक्ष ने कम्पनी की 11वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने कम्पनी के कामकाज का संचालन और कम्पनी में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
 - उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से 11वीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।
 - इसके बाद, अध्यक्ष की अनुमति से, कम्पनी सचिव श्री राजेश सेनी ने बैठक के एजेंडे के विषय पर विचार करना शुरू किया:
- 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।**
श्री संदीप सिंह (फोलियो संख्या: 0068196) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या: 01/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”
श्री दलजीत सिंह (फोलियो संख्या: 0073018) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की समता शेयर पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।**
श्री सुखदीप सिंह (फोलियो संख्या: 0125858) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या: 02/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संचय एवं अधिशेष में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 14,09,993 समता अंशों पर रु. 1,12,79,944 31 मार्च 2024 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका 31 मार्च 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”
श्री गुरदीप सिंह (फोलियो संख्या: 0132236) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
 - “श्रेणी ए” के साथ संबंधित सदस्य श्री सुखपाल सिंह (डी.आई.एन: 09288587) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होगे।**
श्री रघुपाल सिंह (फोलियो संख्या: 0080683) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या: 03/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के श्रेणी ए के साथ संबंधित सदस्य श्री सुखपाल सिंह (डी.आई.एन: 09288587) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री हरजोध सिंह (फोलियो संख्या: 0098005) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. “श्रेणी ए” के साथ संबंधित सदस्य श्रीमती रणजीत कौर (डी.आई.एन: 06868678) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्रीमती रमनदीप कौर (फोलियो संख्या: 0026598) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 04/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के श्रेणी ए के साथ संबंधित सदस्य श्रीमती रणजीत कौर (डी.आई.एन: 06868678) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्रीमती हरप्रीत कौर (फोलियो संख्या: 0030233) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

श्रीमती दविंदर कौर (फोलियो संख्या: 0046479) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. “श्रेणी बी” के साथ संबंधित सदस्य श्री कुलदीप सिंह (डी.आई.एन: 10713152) को कम्पनी के निदेशक पद पर नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्रीमती वीरपाल कौर (फोलियो संख्या: 0076475) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 05/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के श्रेणी बी के साथ संबंधित सदस्य श्री कुलदीप सिंह (डी.आई.एन: 10713152) को कम्पनी के निदेशक पद पर नियुक्ति किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्रीमती दविंदर कौर (फोलियो संख्या: 0046479) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. “श्रेणी सी” के साथ संबंधित सदस्य श्री गुरलाल सिंह (डी.आई.एन: 09285765) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री बेअंत सिंह (फोलियो संख्या: 0118365) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 06/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के श्रेणी सी के साथ संबंधित सदस्य श्री गुरलाल सिंह (डी.आई.एन: 09285765) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री धन सिंह (फोलियो संख्या: 0074207) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. अकेक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

श्री कुलदीप सिंह (फोलियो संख्या: 0068992) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 07/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, मेसर्स एस.एन. धवन एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या - 000050N/N500045) को वित्तीय वर्ष 2024-2025 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कम्पनी का सांविधिक अकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल को मेसर्स एस.एन. धवन एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या - 000050N/N500045) को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कम्पनी का अकेक्षक करने के लिए अकेक्षक के रूप पर पारिश्रमिक और लागू जी.एस.टी. सहित और आवश्यक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारित किया जाता है।

श्री लवप्रीत सिंह (फोलियो संख्या: 0004783) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट पर विचार करना और अनुमोदित करना।

श्री गुरप्रीत सिंह बराड़ (फोलियो संख्या: 0119025) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 08/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है को एतद्वारा अनुमोदन किया जाता है।”

श्री बूटा सिंह (फोलियो संख्या: 0006493) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

श्रीमती बेअंत कौर बागड़ी (फोलियो संख्या: 0123586) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 09/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 अनुसार (अन्य परिवर्तन या लागू प्रावधानों) और कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू प्रावधानों अनुसार, कम्पनी की मौजूदा अधिकृत अंश पूंजी प्रत्येक रुपये 100/- (सो) के 20,00,000 (बीस लाख) इक्कीटी अंशों की ₹20,00,00,000 (बीस करोड़ रुपये) से बढ़ाकर ल्येक रुपये 100/- (सो) के 40,00,000 (चालीस लाख) इक्कीटी अंशों की ₹40,00,00,000 (चालीस करोड़ रुपये) की जायेगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य सभी लागू प्रावधानों और नियम और कम्पनी के बहिर्नियम की मौजूदा अनुच्छेद V को निम्नलिखित अनुसार परिवर्तन सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है:-

V. अधिकृत अंश पूंजी

“कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रुपये 40,00,00,000/- [केवल चालीस करोड़ रुपये] है, जो रुपये 100/- [एक सौ रुपये] प्रति अंश के 40,00,000 [चालीस लाख] इक्विटी अंशों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा सभी कार्य, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती पितरजीत कौर (फोलियो संख्या: 0111943) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कम्पनी के अंतर्नियम में परिवर्तन करने पर विचार करना और अनुमोदन करना।

श्रीमती सरबजीत कौर (फोलियो संख्या: 0021633) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 10/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधान, यदि कोई हो और कम्पनी के बहिर्निर्णय और अंतर्निर्णय के लागू प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी अंतर्निर्णयों के वर्तमान अनुच्छेदों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

(1) वर्तमान अनुच्छेद 4.3.ii. को रूपांतरित कर निम्नानुसार पढ़ा जाये:

कोई भी सदस्य, जो सदस्य के रूप में बने रहने के योग्य नहीं है, उसे सदस्य के रूप में हटाने के लिए और सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु कम्पनी द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा। हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान कर सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर चर्चा देना होगा। ऐसे नोटिस निम्न माध्यम से भेजे जायेंगे:

> सदस्य को उसके पिछले ज्ञात पते पर आम डाक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा और भेजने के पांच दिन बाद उसे प्राप्त हुआ माना जाएगा; या

> सदस्यों को कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड उसकी ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा और सदस्य को ई-मेल भेजने के दिन ही प्राप्त हुआ माना जायेगा।

तत्पश्चात्, बोर्ड इस संबंध में अपना निर्णय लेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा सभी कार्य, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती वीरपाल कौर (फोलियो संख्या: 0110620) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज (एन.डी.एस.) के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (secondment agreement) पर विचार करना और अनुमोदित करना।

श्रीमती सुखदीप कौर (फोलियो संख्या: 0121684) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 11/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के बहिर्निर्णयों और अंतर्निर्णयों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी, एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज (एन.डी.एस.) के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (secondment agreement)/अनुबंध करने और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के पृष्ठिकरण के लिए सदस्यों का अनुमोदन और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था के लिए एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज (एन.डी.एस.) के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध करने और/या जारी रखने के लिए प्रदान किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा इस व्यवस्था/अनुबंध को समाप्त करने के लिए आम सभा में सदस्यों की पूर्ण सहमति की आवश्यकता होगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती बेअंत कौर (फोलियो संख्या: 0133634) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज (एन.डी.एस.) को दूध की आपूर्ति पर विचार कर अनुमोदन करना।

श्रीमती जसपाल कौर (फोलियो संख्या: 0075941) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 12/11वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के बहिर्निर्णयों और अंतर्निर्णयों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी दूध की आपूर्ति के लिए दिनांक 07.04.2024 को एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज (एन.डी.एस.) के साथ किये गये आपूर्ति अनुबंध का अनुमोदन किया जाता है जिसमें किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार सम्मिलित है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

श्रीमती हरविंदर कौर (फोलियो संख्या: 0090483) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

अन्य कोई विषय चर्चा के लिए नहीं था, तत्पश्चात् अध्यक्ष ने आम सभा का समापन धन्यवाद देने के बाद घोषित किया।

दिनांक: 15/10/2024

स्थान: गोमती खुर्द

sd/-
(अध्यक्ष)

BAANI MILK PRODUCER COMPANY LTD
BUSINESS PLAN
FOR THE PERIOD FROM 01.04.2025 TO 31.03.2026

PARTICULARS	AMOUNT (Rs. In Lacs)
Quantity (Annual) (LKg)	1,915.90
Average Quantity/Day (LKgPD)	5.25
<u>INCOME</u>	
Revenue from Operations	89,726.87
Other Income	671.72
Total	90,398.59
<u>EXPENDITURE</u>	
Purchase of Raw Milk	79,928.88
Direct Expenses	6,713.80
Cluster Office Expenses	1,386.29
Manpower Expenses	589.10
Administration Expenses	417.70
Financial Expenses	1.68
Selling and Distribution Expenses	96.05
Total	89,133.50
<i>Profit/(Loss) before Tax (EBITDA)</i>	<i>1,265.09</i>
Interest Cost	32.21
Depreciation & Amortization	382.47
<i>Profit/(Loss) before Tax (EBT)</i>	<i>850.41</i>

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN: U01403PB2014PTC038826)

रजिस्टर्ड कार्यालय: एस.सी.ओ. नंबर 37 और 38, अर्बन एस्टेट, फेज -2 राजपुरा रोड, पटियाला-147002
टेलीफोन-0175-5000735, वेबसाइट: www.baanimilk.com, ई-मेल: info@baanimilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की बारवीं वार्षिक आम सभा शनिवार, दिनांक 06 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे एस.डी.के.एस. भवन, अग्रसेन अस्पताल के पास, राजपुरा रोड, पटियाला - 147001 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

- 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।
- कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभान्श (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:
“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभान्श (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रुपये 9/- प्रति अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रुपये 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 16,30,620 समता अंशों पर रुपये 1,46,75,580/- 31 मार्च, 2025 तक के सदस्यों को अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”
- “श्रेणी ए” के साथ संबंधित सदस्य श्री गुरलाल सिंह (डी.आई.एन-11203056) को कम्पनी के निदेशक पद पर नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।
- “श्रेणी बी” के साथ संबंधित सदस्य श्रीमती हरप्रीत कौर (डी.आई.एन-11202992) को कम्पनी के निदेशक पद पर नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।
- “श्रेणी सी” के साथ संबंधित सदस्य श्रीमती परमजीत कौर (डी.आई.एन-09285767) को कम्पनी के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।
- वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए कम्पनी के बजट अनुमानों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

- निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए नामांकन समिति को बनाने की दिशानिर्देशों पर विचार करना और अनुमोदित करना।

- “प्रस्ताव पारित किया जाता है कि पूर्व में XXIX संकल्प (संकल्पों) के स्थान पर, कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के अनुच्छेदों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIX के अंतर्गत नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों एतद्वारा अंतीकृत व स्वीकृत किये जायें जो कि इस प्रकार हैं,
- बोर्ड, ‘कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार’ के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (‘कम्पनी’) का बोर्ड एक ‘नामांकन समिति’ (एन.सी.) का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन महीनों के अन्दर करेगा।
 - बोर्ड के उत्पादक निदेशक के रिक्त पदों (श्रेणी-ए, श्रेणी-बी या श्रेणी-सी के अंतर्गत) की घोषणा कम्पनी के बोर्ड निदेशक द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना-पत्र (बोर्ड में रिक्त सभी पदों को भरने हेतु) कम्पनी के सूचना पत्र बोर्ड पर लगाया जायेगा और या यदि कोई कम्पनी की वेबसाइट है तो उस पर दिखाया जायेगा या जिस श्रेणी की रिक्तता पैदा होगी उससे सम्बन्धित सभी सदस्यों को सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर सूचित किया जायेगा।
 - अनुच्छेद के तहत, बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालन ‘नामांकन समिति’ द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
 - ‘नामांकन समिति’ निम्नलिखित सारणी में पात्र पार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए ‘पार्थी के योग्यता अंक’ पर विचार करेगी:

पार्थी के योग्यता अंक हेतु मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी को दूध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे: (95% या अधिक दिन - 30 ; 85% से <95% दिन - 20 ; 75% से <85% - 15 ; 65% से <75% - 10 ; 55% से <65% - 5 ; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ति सत्यापन के आधार पर संपूर्ण अधिव्य की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दूध की आपूर्ति नहीं की है) -	5
लगातार सदस्य श्रेणी (ए, बी, सी) बनाए रखने पर 6 अंक प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती 5 वर्षों के लिए	30
आवेदक की शैक्षिक योग्यता	15
पुरुष के लिए- 5 अंक 12वीं पास के लिए, 10 अंक सातक पास के लिए, 15 अंक स्नातकोत्तरों के लिए महिला के लिए- 5 अंक 10वीं पास के लिए, 10 अंक 12वीं पास के लिए, 15 अंक सातक के लिए	
अन्य प्रशिक्षण में भाग लिया- सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वी.सी.जी./एम.आर.जी. प्रशिक्षण (5 अंक); एल.डी.पी./निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक);	20
कुल	100

- बोर्ड द्वारा गठित की गई नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- सदस्यता श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है बशर्ते ऐसा उत्पादक-सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभा से सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक-सदस्य

योग्य सिद्ध होते हैं, आपकी सहमति में या डा. ऑफ लॉट्स के द्वारा एक नामांकन समिति सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक को उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या डा. ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;

- (ii) एक विशेषज्ञ निदेशक जो कम्पनी के बोर्ड में है; और
 - (iii) राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रबंधन संस्थान का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास के लिए कार्य किया हो।
- कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नामांकन समिति' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नामांकन समिति की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (vi) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपनी सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।
 - (vii) बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों को चुनने के लिए 'नामांकन समिति' के द्वारा अपनाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
- कम्पनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।"

8. एन.डी.डी.बी. द्वारा बनाई जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की अंश पूंजी लेने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना एवं निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बहिर्नियम और अंतर्नियम के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन सामान्य आरक्षित निधि के 30% की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के अंशों की सदस्यता लेने और एन.डी.डी.बी. द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव लिया गया कि कम्पनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई से अधिकृत किया जाता है।

स्थान: पटियाला

दिनांक: 11.07.2025

पंजीकृत कार्यालय:

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

एस.सी.ओ. संख्या 37 एवं 38, अर्बन एस्टेट, फेज-2

राजपुरा रोड, पटियाला-147002

बोर्ड के आदेशानुसार

Sd/-

(राजेश सैनी)

डी.जी.एम (लीगल एंड सी.एस.)

मैम्बरशिप नंबर: A15497

टिप्पणीयाँ

- कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा प्रस्ताव देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना प्रस्ताव देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
- सदस्य/प्रतिनिधि वार्षिक आम सभा में भाग लेने पर उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।
- इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सायं 16:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
- कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.4 (1) के अनुसार, 12वीं वार्षिक आम सभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 500 लीटर दूध और कम से कम 200 दिन की पूर्ति पूरी की है। इसके अलावा, एजेंडा मद संख्या 3 से 5 में निर्धारित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों और वोट संबंधित श्रेणी के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। 31 मार्च, 2025 के बाद बने सदस्य को वार्षिक आम सभा में वोट का अधिकार नहीं होगा। **विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया 2024-25 की निदेशक रिपोर्ट का पैरा "वोट अधिकार और वार्षिक आम सभा में उपस्थिति" जो कि पृष्ठ संख्या 4 पर है, को पढ़ें।**
- 20 सितंबर, 2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा के कार्यवृत्त; 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान भी संलग्न हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम सभा में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएं क्योंकि कम्पनी वार्षिक आम सभा स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी। सदस्य यह भी ध्यान दें कि 12वीं वार्षिक आम सभा की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.baanimilk.com पर भी उपलब्ध होगी।
- 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए सीमित लाभांश (डिविडेंड) उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनका नाम 31.03.2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है। वैधानिक रूप से, कोई भी लाभांश जो घोषणा की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उक्त तीस दिनों की समाप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर एक अनुसूचित बैंक के साथ दावा न किए गए लाभांश खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भुगतान न किए गए लाभांश खाते में स्थानांतरित कोई भी धन जो इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए भुगतान नहीं किया गया या दावा नहीं किया गया है, उसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आईईपीएफ. में हस्तांतरण की संबंधित देय तिथियों के साथ दावा न किए गए / भुगतान न किए गए लाभांश की स्थिति नीचे दी गई है। अंशधारकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे उक्त राशि को आईईपीएफ. में स्थानांतरित करने से पहले कम्पनी से लाभांश का दावा करें। लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	लाभांश (डीवीडेंड) का प्रकार	लाभांश (डीवीडेंड) का भुगतान (राशि रुपए में)	31.03.2025 तक दावा न किया गया लाभांश(डीवीडेंड)		दावा न किए गए लाभांश (डीवीडेंड) को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई.ई.पी.एफ.) में हस्तांतरण की नियत तिथि
			राशि रुपये में	%	
2017-2018	फाइनल	69,54,120	1,09,512	1.57	26.10.2025
2018-2019	फाइनल	78,27,336	44,192	0.56	20.10.2026
2019-2020	फाइनल	84,68,089	26,551	0.31	25.12.2027
2020-2021	फाइनल	86,65,049	17,591	0.20	22.10.2028
2021-2022	फाइनल	88,34,889	21,413	0.24	25.10.2029
2022-2023	फाइनल	97,78,132	34,104	0.35	25.10.2030
2023-2024	फाइनल	1,12,79,944	40,328	0.36	20.10.2031

8. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
9. सदस्य, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया है, वे सदस्य नामांकन पत्र को पुरा भरकर के कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। नामांकन पत्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
11. जिन सदस्यों के पास दो या दो से ज्यादा फोलियो के तहत अंश है उन सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी होल्डिंग को एक फोलियो में समेकित कर लें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन और बैंक खाता का विवरण कम्पनी को सूचित करें।
13. वार्षिक आम सभा में हथियार, बंदूक, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड की अनुमति नहीं है।
14. वार्षिक रिपोर्ट या कम्पनी के सदस्यों को या अन्य दस्तावेज शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आई.डी., यदि कोई हो, कम्पनी के साथ पंजीकृत करा लें। ई-मेल पंजीकरण फॉर्म "सदस्य कॉर्नर" के आधीन कम्पनी की वेबसाइट www.baanimilk.com पर उपलब्ध है। सदस्य इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भरकर हस्ताक्षर करने के बाद, इसे कम्पनी के मुख्य कार्यकारी/कम्पनी सचिव को भेज सकते हैं। सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जो ई-मेल कम्पनी के साथ पंजीकृत हैं बेशरत वह सदस्य ने इसकी भौतिक प्रति की मांग न की हो। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें भौतिक प्रतियां भौतिक रूप में डाक राही माध्यम से भेजी जा रही हैं।

वार्षिक आम सभा में नियुक्त/पुनः नियुक्ति होने वाले निदेशकों का विवरण [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378जेड.ए. (4)(सी) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार]

कार्यसूची सं 3 से 6

बोर्ड के नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्री गुरलाल सिंह (डी.आई.एन.: 11203056), जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्रीमती हरप्रीत कौर (डी.आई.एन.: 11202992), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती हैं और श्रीमती परमजीत कौर (डी.आई.एन.: 09285767), जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करती हैं को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

	श्री गुरलाल सिंह	श्रीमती हरप्रीत कौर	श्रीमती परमजीत कौर
उम्र:	31 वर्ष	31 वर्ष	49 वर्ष
शैक्षिक योग्यता:	12वीं उत्तीर्ण	12वीं उत्तीर्ण	मैट्रिक
व्यवसाय	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव:	कृषि और पशुपालन में 10 वर्ष का अनुभव	पशुपालन में 10 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 25 वर्ष का अनुभव
नियुक्ति की नियम व शर्तें:	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक:	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की स्थिति:	बारहवीं (12वीं) वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति प्रस्तावित	बारहवीं (12वीं) वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति प्रस्तावित	16.03.2018
गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लिया:	लागू नहीं	लागू नहीं	8

धारित अंशों की संख्या:	315	85	42
अन्य निदेशकों और के.एम.पी. के साथ संबंध:	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता	-	-	-

कृपया विस्तृत जानकारी के लिए 2024-25 की निदेशक रिपोर्ट का पैरा "निदेशक मंडल" जो कि पृष्ठ संख्या 4-5 पर है, को पढ़ें। कम्पनी का कोई भी निदेशक, सिवाए श्री गुरलाल सिंह (डी.आई.एन.: 11203056), श्रीमती हरप्रीत कौर (डी.आई.एन.: 11202992) और श्रीमती परमजीत कौर (डी.आई.एन.: 09285767), अंशधारकों के अलावा उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 7

कम्पनी के अंतर्निर्णय के अनुच्छेद 9.6 और 9.18 k के अनुसार, बोर्ड में सदस्यों के श्रेणी का प्रतिनिधित्व, निदेशकों का चुनाव, निदेशकों के पद के लिए सिफारिश आदि के लिए, बोर्ड द्वारा एक "नामांकन समिति" (एन.सी.) का होना आवश्यक है।

इसके अलावा, कम्पनी के अंतर्निर्णय के अनुच्छेद 11.11 vii की आवश्यकता के अनुसार, "नामांकन समिति" के गठन हेतु दिशानिर्देशों कम्पनी के अंशधारकों की वार्षिक आम सभा में पारित एक साधारण प्रस्ताव द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित होंगे।

कम्पनी के अंशधारकों ने 27.09.2016 को आयोजित अपनी तीसरी वार्षिक आम सभा में कम्पनी की नामांकन समिति के गठन हेतु दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी थी। उपरोक्त दिशानिर्देशों को बदलने/संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि कम्पनी के बोर्ड में सदस्यों का अधिक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

इसलिए बोर्ड ने उपरोक्त मद संख्या 7 को सदस्यों के अनुमोदन हेतु साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव करने की सिफारिश की है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक, सिवाये अंशधारक के तौर पर इस प्रस्ताव के साथ संबंधित या रुचि नहीं है।

मद संख्या 8

एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसज़ (एन.डी.एस.) के माध्यम से एन.डी.डी.बी. द्वारा प्रवर्तित या भविष्य में प्रवर्तित किए जाने वाले दुग्ध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन में सहायता कर रही है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत होगी। समिति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके, और सरकारी निकायों के साथ सहयोग तथा सहकारी सिद्धांतों के पालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूँकि बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ("बाणी एम.पी.ओ.") के उद्देश्य और गतिविधियाँ इस शीर्ष सहकारी समिति के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि बाणी एम.पी.ओ. को सामान्य रिजर्व के 30% की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के अंशों की सदस्यता लेकर उक्त शीर्ष सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहिए और एन.डी.डी.बी. द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहिए।

इसलिए बोर्ड ने उपरोक्त मद संख्या 8 को सदस्यों के अनुमोदन हेतु विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव करने की सिफारिश की है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक, अलावा अंशधारक के तौर पर इस प्रस्ताव के साथ संबंधित या रुचि नहीं है।

स्थान: पटियाला

दिनांक: 11.07.2025

पंजीकृत कार्यालय:

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

एस.सी.ओ. संख्या 37 एवं 38, अर्बन एस्टेट, फेज-2

राजपुरा रोड, पटियाला-147002

बोर्ड के आदेशानुसार

Sd/-

(राजेश सेनी)

डी.जी.एम (लीगल एंड सी.एस.)

मैम्बरशिप नंबर: A15497

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01403PB2014PTC038826)

रजिस्टर्ड कार्यालय: एस.सी.ओ. नंबर 37 और 38, अर्बन एस्टेट, फेज -2 राजपुरा रोड, पटियाला-147002
टेलीफ़ोन-0175-5000735, वेबसाइट: www.baanimilk.com, ई-मेल: info@baanimilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फ़ोलियो संख्या:

सदस्य कोड:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शनिवार, 06 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे एस.डी.के.एस. भवन, अग्रसेन अस्पताल के पास, राजपुरा रोड, पटियाला - 147001 पर होने वाली बारवीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

अंश धारक का नाम :	
प्रॉक्सी धारक का नाम : (अगर प्रॉक्सी धारक वार्षिक आम सभा में भाग ले रहा/रही हो तो)	

अंशधारक/प्रॉक्सी धारक * के हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

